बिहार
सामान्य ज्ञान

(जानिए संपूर्ण बिहार को)

BPSC, BSSC एवं बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक पुस्तक

डॉ. मनीष रंजन (IAS)

बिहार

सामान्य ज्ञान

डॉ. मनीष रंजन (IAS)

प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
ISO 9001:2008 प्रकाशक

यह पुस्तक कर्म और श्रम की प्रेरणा से पूरित, ममत्व की थाती माँ; अभिभावकत्व के दायित्व व संरक्षण में आकाशधर्मा पिता; अंक, अक्षर और संस्कार का बीज वपन करनेवाले परिमार्जक तथा शोधक गुरुजनों; जीवन-पथ पर मित्रवत् स्नेह-छाँव देनेवाली सहधर्मिणी पत्नी; अपनी मुस्कराहट और मासूमियत से मुझे आह्लादित करनेवाली पुत्री एवं उन समस्त मेधाओं तथा प्रतिभाओं को समर्पित है, जिनकी आँखों में प्रतियोगिता के सर्वोच्च प्रतिमान को रचने का स्वप्न आकार ले रहा है।

अनुक्रम

प्राक्कथन

भूमिका

1. इतिहास के स्रोत (Sources of History)

2. प्राक्-ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल (Pre-Historical Age and Ancient Period)

3. मध्य काल (Medieval Period)

4. आधुनिक काल (Modern Period)

5. स्वतंत्रता आंदोलन (Freedom Movement)

6. पृथक् बिहार आंदोलन (Bihar Separation Movement)

7. वास्तुकला एवं चित्रकला (Architecture and Painting)

8. लोक-संस्कृति (Folk Culture)

9. मेले एवं त्योहार (Fairs and Festivals)

10. साहित्य एवं साहित्यकार (Literature and Writer)

11. बिहार की विभूति (Personalities of Bihar)

12. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल-कूद (Education, Health and Sports)

13. स्थिति एवं उच्चावच (Location and Relief)

14. अपवाह प्रणाली (Drainage System)

15. जलवायु एवं मिट्टी (Soil and Climate)

16. वन एवं वन्य जीव-जंतु (Forest and Wild Life)

17. कृषि (Agriculture)

18. सिंचाई के साधन (Sources of Irrigation)

19. खनिज एवं उद्योग (Minerals and Industry)

20. आधारभूत संरचना (Infrastructure)

21. जनसंख्या एवं अधिवास (Population and Settlement)

22. पर्यटन एवं पर्यटन स्थल (Tourism and Tourist Places)

23. आपदा प्रबंधन (Disaster Management)
24. राज व्यवस्था (Political System)
25. प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative System)
26. न्यायपालिका (Judiciary)
27. स्थानीय स्वशासन (Local Government)
28. प्रमुख आर्थिक संकेतक (Main Economic Indicators)
29. गरीबी (Poverty)
30. बेरोजगारी (Unemployment)
31. केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ (Central and State Sponsored Schemes)
32. वित्तीय प्रणाली (Financial System)
33. नीतियाँ (Policies)
34. आर्थिक सर्वेक्षण : 2016-17 (Economic Survey : 2016-17)
35. बजट : 2017-18 (Budget : 2017-18)
36. राज्य विभाजन का प्रभाव (Effect of State Partition)
37. विशेष राज्य के दर्जे की माँग एवं विशेष पैकेज, 2015 (Demand of Special Status and Special Package)
38. नक्सलवाद (Naxalism)
39. बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन एवं विकास की संभावनाएँ (Economic Backwardness of Bihar and Possibilities of Development)
40. सुशासन एवं सात निश्चय (Good Governance and Seven Nishchaya)
41. बिहार दिवस (Bihar Diwas)
42. समसामयिकी (Current Affairs)
43. सांख्यिकी उपस्थापन (Statistical Presentation)
44. प्रश्नावली सेट (Questionnaire Set)
45. परिशिष्ट (Appendix)

प्राक्कथन

प्रिय पाठको,

मैं अपने जीवन में अध्ययन एवं अध्यापन के दौरान ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के हजारों युवाओं के संसर्ग में आया। युवाओं के संसर्ग के क्रम में मैंने पाया कि जब युवा बाल्यकाल में होते हैं तो उनके चेहरे पर प्राकृतिक मुसकराहट बनी रहती है। शनैः-शनैः जब उम्र बढ़ती जाती है तथा उनके चेहरे पर मुसकराहट की जगह शिकन अपना आधिपत्य जमा लेती है, और एक समय ऐसा आता है, जब युवाओं के कंधे पर स्वयं की, परिवार की तथा समाज की जिम्मेदारी आ जाती है, ऐसे समय में उनके सामने रोजगार का अभाव होता है। ऐसी दुरूह स्थिति में युवा जीवन के चौराहे पर अपने को किंकर्तव्यविमूढ़ पाते हैं। स्वयं की अनुभूति एवं परिवेश के अनुभव ने मुझे प्रेरित किया है कि ऐसे युवाओं के जीवन में रोजगार रूपी चिराग जलाने के लिए मैं कोई प्रयत्न करूँ। इसी का प्रतिफलन है प्रस्तुत पुस्तक, जिसमें हम लोगों ने खयाल रखा है कि बिहार से संबंधित तथ्यों को इस प्रकार पहुँचाएँ, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जानेवाले प्रश्नों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का एक खाका आपके अवचेतन मन पर अंकित हो जाए।

यों तो प्रतियोगिता रूपी व्यावसायिक बाजार में पुस्तकों का अभाव नहीं है, किंतु प्रामाणिकता की कसौटी पर प्रमाण की भूमिका में यह पुस्तक प्रस्तुत है। यदि आप इस पुस्तक के सभी तथ्यों का पूर्ण मनोयोग से अध्ययन कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी दृष्टि में पैनापन आएगा, जो आपके चेहरे पर बाल्यकाल की प्राकृतिक मुसकराहट को वापस लौटाएगा। आत्मविश्वास से भरा युवा ही समर्थ भारत की पहचान हो, यही मेरी आकांक्षा है।

इस प्राक्कथन के माध्यम से मैं उन हजारों अनाथ, असहाय, गरीब एवं बेरोजगारी से संघर्षरत युवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका विपरीत परिस्थिति में जूझने के साहस ने मुझे प्रेरित किया कि जुगनू के रूप में ही सही, अपना सूक्ष्म प्रकाश उन तक पहुँचाऊँ। इस पुस्तक के संकलन में **निदेशक मुन्नाजी** का निश्छल सहयोग मुझे हर स्तर पर मिलता रहा। गरीब, अनाथ एवं निःसहाय छात्रों के उत्थान के लिए **श्री मुन्नाजी** के भगीरथ प्रयास को मैं साधुवाद देता हूँ और अंत में आप से कहना चाहूँगा—

ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा,
पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा।
ओ अमावस को बुरा कह के बहकानेवालो,
अपने ही मन का तुझे दीप जलाना होगा।
भाग मगरूँ भाग क्योंकि
जिंदगी न मिलेगी दुबारा।
जय हिंद! जय युवा!!

तुम सभी का

डॉ. एम. रहमान

इतिहास, जिंदगी एवं परीक्षा विशेषज्ञ

(अदम्या अदिति गुरुकुल)

भूमिका

गौरवशाली अतीत एवं प्रेरणादायक परंपराओं से ओत-प्रोत बिहार की धरती को महान् विभूतियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। प्रकृति की सुंदरता एवं ऐतिहासिक विरासत की संपूर्णता को समेटे हुए बिहार न केवल संस्कृति के उद्‌भव का साक्षी रहा है, बल्कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की जन्मभूमि भी है। बिहार प्राचीनकाल से ही विश्व को शासन, शांति, सत्य एवं अहिंसा का उपदेश देता रहा है। बुद्‌ध, महावीर, आर्यभट्‌ट, चाणक्य जैसे प्राचीन मनीषियों से लेकर आधुनिक युग में लोकनायक जयप्रकाश एवं देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जैसी महान् विभूतियों की जन्मस्थली तथा कर्मस्थली रहा है। प्रत्येक कालखंड में बिहार ने राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई तथा विश्व समुदाय को नई दिशा एवं नया संदेश दिया है। बिहार ने अपनी बौद्‌धिक एवं प्राकृतिक संपदा के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्जीवित करना इसका नव्य उदाहरण है।

यह सत्य है कि अतीत के सुनहरे पल में जीनेवाला बिहार बाद के वर्षों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पिछड़ गया एवं देश के अन्य राज्यों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने में असमर्थ रहा, लेकिन पिछले दशक में राज्य ने पुन: कर्म के बल पर तीव्र गति से विकास करनेवाले राज्यों में अपना स्थान बना लिया।

हमारी जन्मभूमि होने एवं निश्छल लगाव होने के कारण बिहार पर पुस्तक लिखने की आकांक्षा एवं अभिलाषा वर्षों से रही थी। बिहार की बौद्‌धिक संपन्नता, जल एवं मिट्‌टी जैसे संसाधनों की उपलब्धता राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने में सक्षम है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से महसूस किया कि बिहार पर अब तक लिखी गई सभी पुस्तकें प्राकृतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को परिलक्षित करने में असमर्थ रही हैं। बिहार पर उपलब्ध पुस्तकें, गाइड आदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को सरल, सुबोध, तथ्यात्मक एवं ज्ञानपरक जानकारी प्रदान करने में उपयोगी सिद्‌ध नहीं हुई हैं और इस कारण कठिन परिश्रम के बाद भी प्रतियोगी छात्रों को असफलता हाथ लगती है। हमारे द्‌वारा लिखी पुस्तक के संदर्भ में यही कहा जा सकता है, 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्' अर्थात् जो इस पुस्तक में है, वह अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं मिलेगा। पुस्तक में इसी कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है।

'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।'...

—गीता

इस उद्‌देश्य से सूचनाओं की विश्लेषणात्मक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इसे पुस्तक का स्वरूप दिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक को 45 अध्यायों में विभाजित किया गया है। विभिन्न अध्यायों में बिहार का इतिहास, कला एवं लोक-संस्कृति, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं समकालिक स्थिति का तथ्यपरक एवं सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

बिहार की ऐतिहासिक जानकारी को पुस्तक में 6 अध्यायों में समाहित किया गया है। कला एवं संस्कृति के विविध पक्षों एवं बिहार की विभूतियों तथा खेल-कूद से संबंधित भागों को 6 अध्यायों में वर्णित किया गया है। राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं आपदा से संबंधित विवरण को 13 अध्यायों में वर्णित किया गया है। राजव्यवस्था,

अर्थव्यवस्था एवं राज्य के आर्थिक विकास की नीतियों को 12 अध्यायों में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभाजन का प्रभाव, विशेष राज्य का दर्जा, सुशासन एवं विकास से संबंधित संभावनाएँ, बिहार दिवस एवं समसामयिकी से संबंधित घटनाचक्र को 7 अध्यायों में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी उपस्थापन, परिशिष्ट आदि विषयों से संबंधित अध्याय सम्मिलित हैं।

इतिहास अध्ययन के स्त्रोत—पुस्तक में बिहार के इतिहास को सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं निरपेक्ष भाव से वर्णित किया गया है। संस्कृतियों के परिवर्तन एवं उसके मानव जीवन पर प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में इतिहास अध्ययन के मूल आधार ऐतिहासिक स्त्रोत एवं ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विश्लेषण को आधार बनाया गया है।

प्राक्-ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल—प्रस्तुत अध्याय में प्राक्-ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक बिहार के सांस्कृतिक उदय तथा सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ-साथ बिहार का राजनैतिक इतिहास, यथा—मगध साम्राज्य, मौर्योत्तर एवं गुप्तकालीन बिहार का वर्णन किया गया है, जो पाठकों को बिहार की ऐतिहासिक विरासत को समझने में ज्ञानवर्धक है।

मध्यकाल—इस अध्याय में मध्यकाल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित कर सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। पूर्व मध्यकाल के साथ-साथ मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों के बिहार पर प्रभाव का वर्णन किया गया है। मध्यकाल में पूरे भारत के इतिहास को प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावित करनेवाले बिहार के अफगान शासक शेरशाह का उदय एवं उसकी नीतियों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। बिहार में मुगलकालीन शासन व्यवस्था एवं मध्यकालीन रहस्यवादी इस्लामिक सूफी परंपरा का चित्रण किया गया है, जिसने भारत के साथ-साथ बिहार में भी भाईचारेवाली हिंद-इस्लामी संस्कृति को पुष्पित एवं पल्लवित होने का आधार प्रदान किया।

आधुनिक काल—इस अध्याय में देश के साथ-साथ राज्य में केंद्रीकृत मुगल शासन के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने के कारण एवं प्रभाव को वर्णित किया गया है, साथ ही यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन, उनके बीच राज्य पर शासन स्थापना के लिए संघर्ष—जिसमें अंग्रेजों की विजय का विश्लेषण किया गया है—अंग्रेजी शासन की स्थापना के विरुद्ध राज्य में हुए जन आंदोलन का भी सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

स्वतंत्रता आंदोलन—बिहार प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधाराओं का पोषक या पक्षधर रहा है। 1857 ई. के विद्रोह के पूर्व भी अनेक जनजातीय एवं किसान विद्रोह हो चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में 'चंपारण सत्याग्रह', 'खिलाफत आंदोलन', 'असहयोग आंदोलन', 'सविनय अवज्ञा आंदोलन', 'भारत छोड़ो आंदोलन' में बिहारवासियों ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। चंपारण की भूमि से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के प्रयोग का आंदोलन प्रारंभ किया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ-साथ 'आजाद हिंद फौज' में बिहारी क्रांतिकारियों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में महिला, किसान, समाजवादी विचारधारा के लोगों के योगदान का विश्लेषण भी इस अध्याय में किया गया है, साथ ही ब्रिटिशकाल के दौरान बिहार में शिक्षा के विकास से संबंधित नीतियों एवं संस्थाओं के विकास का वर्णन किया गया है।

पृथक् बिहार आंदोलन—इस अध्याय में बिहार के वर्तमान राजनैतिक स्वरूप के लिए चलाए गए आंदोलन को चरणबद्ध रूप में वर्णित किया गया है। 1 अप्रैल, 1912 को बिहार स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठित हुआ। बिहार प्राचीन काल से ही स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है। मगध, मौर्य से लेकर शेरशाह एवं अकबर तक बिहार अलग सूबे के रूप में गठित था, लेकिन ब्रिटिश काल में बिहार को बंगाल एवं उड़ीसा के साथ सम्मिलित कर एक प्रांत बना

दिया गया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के कारण बिहार में भी बुद्धिजीवियों का उदय हुआ, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। उन्होंने यह महसूस किया कि पृथक् बिहार प्रांत के गठन के उपरांत ही बिहारियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। इन बुद्धिजीवियों में सर्वश्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, दीपनारायण सिंह एवं गणेश शंकर विद्यार्थी आदि प्रमुख थे।

वास्तुकला एवं चित्रकला—इस अध्याय में बिहार में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पुष्पित एवं पल्लवित वास्तु एवं चित्रकला की विभिन्न शैलियों, यथा—मौर्यकला, पालकला, पटना कलम, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा शैली आदि का सूक्ष्म विश्लेषणात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

लोक-संस्कृति— बिहार की सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक संश्लिष्ट विशेषताओं को समझने का प्रयास किया गया है। किसी भी राज्य या देश की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है। इसी से उसकी अस्मिता और स्वतंत्र पहचान का परिचय मिलता है। संस्कृतियों के आंतरिक समन्वय को प्रदर्शित करनेवाले लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य और जनजातीय संस्कृति का बोधगम्य विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है।

प्रमुख मेले एवं पर्व-त्योहार—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य के लोकजीवन को प्रदर्शित करनेवाले प्रमुख मेले, महोत्सव एवं पर्व-त्योहारों का वर्णन किया गया है। राज्य में देश का सबसे बड़ा सोनपुर पशु-मेला, छठ का पवित्र त्योहार जैसे अनेक पर्व-त्योहारों का विश्लेषण किया गया है।

साहित्य एवं साहित्यकार—इस अध्याय में बिहार के भाषा एवं साहित्य, पत्रकारिता, साहित्यकारों आदि का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। बिहार में अनेक भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका और मागधी आदि प्रमुख हैं। हिंदी बिहार में अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। बिहार में बोली जानेवाली हिंदी भाषा में क्षेत्रीय विविधताएँ पाई जाती हैं। राज्य में साहित्य लेखन एवं पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है। राष्ट्रकवि दिनकर, आंचलिक विशेषताओं को प्रदर्शित करनेवाले आचार्य शिवपूजन सहाय एवं क्षेत्रीय भाषा के महान् कवि विद्यापति की जन्मभूमि बिहार ही रहा है।

बिहार की विभूति— बिहार ने इतिहास काल से ही समय-समय पर संपूर्ण विश्व को प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया है। यह भूमि प्राचीन काल से ही विभूतियों से धनी रही है। बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे प्राचीन मनीषियों से लेकर आधुनिक युग में लोकनायक जयप्रकाश एवं देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जैसे महान् विभूतियों की जन्मस्थली तथा कर्मस्थली रहा है। प्रस्तुत अध्याय में बिहार को विश्व मानस-पटल पर स्थान दिलानेवाली अमर विभूतियों का विश्लेषण किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल-कूद— इस अध्याय में राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थानों एवं प्रमुख संग्रहालयों का वर्णन है, जो पाठकों के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण एवं रुचिकर है। स्वास्थ्य एवं खेल-कूद मानव के सर्वांगीण विकास की अनिवार्य शर्त है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं एवं खेल-कूद से संबंधित क्रिया-कलापों का विश्लेषण किया गया है। खेल-जगत् में राज्य ने अप्रतिम, अद्वितीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को हासिल किया है।

स्थिति एवं उच्चावचता— इस अध्याय में राज्य की भौगोलिक विशेषताओं, यथा—भौगोलिक सीमाओं, भौगोलिक संरचना एवं उच्चावच्चता, भौगोलिक प्रदेश आदि का सूक्ष्म एवं तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। राज्य का यह सौभाग्य है कि यहाँ की प्रकृति जितनी मनोरम है, जल एवं मिट्टी संसाधन में उतनी ही परिपूर्ण है। प्रस्तुत पुस्तक में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए मानचित्र, आँकड़ों आदि का विश्लेषण किया गया है।

अपवाह प्रणाली—इस अध्याय में नदियों, गरम जलकुंड, जलप्रपात, झील, आर्द्रभूमि क्षेत्र का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। राज्य में सदानीरा नदियों का जाल है, जो हिमालय पर्वत से निकलकर बिहार की भूमि

को सींचती एवं उपजाऊ बनाती हुई प्रवाहित होती हैं। इन नदी प्रणालियों का बिहार में मानव के विकास में अमूल्य योगदान रहा है।

जलवायु एवं मिट्टी—प्रस्तुत अध्याय में बिहार की उष्ण मानसूनी जलवायु, जो वैविध्यपूर्ण है, के साथ-साथ वर्षा का वितरण, मिट्टी की विशेषता एवं उनके प्रकार का वर्णन किया गया है।

वन एवं वन्य जीव-जंतु—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य के वन संसाधन एवं जैव विविधता का विस्तृत वर्णन किया गया है। राज्य में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव-जंतुओं की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनके संरक्षण का समुचित प्रयास भी किया जा रहा है। राज्य वन विकास अधिकरण एवं वन्य जीव-जंतु एवं संरक्षण आदि संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्य जीव-जंतु के संरक्षण का उल्लेखनीय प्रयास किया जा रहा है।

कृषि—इस अध्याय में भूमि उपयोग प्रतिरूप, कृषि गहनता, कृषि-संयोजन प्रदेश, कृषि प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलों, पशुपालन एवं मत्स्यपालन एवं भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। कृषि बिहार के विकास का प्रमुख आधार-स्तंभ है। कृषि के विकास के अभाव में राज्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

सिंचाई साधन—इस अध्याय में सिंचाई के प्रमुख साधनों, विभिन्न परियोजनाओं जैसे—कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना आदि, कृषि के विकास के लिए चलाई जा रही इंद्रधनुष क्रांति एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा पूर्वी क्षेत्र के लिए आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, पटना का वर्णन किया गया है।

खनिज एवं उद्योग—इस अध्याय में बिहार में उपलब्ध खनिज संपदा, उद्योग-धंधे, जैसे—कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि का वर्णन किया गया है। उद्योगों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए की गई छठी आर्थिक गणना, 2013, उद्योगों के विकास एवं सहायता के लिए बनाए गए विभिन्न क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों, उद्योग मित्रों एवं औद्योगिक प्रदेशों का विशद वर्णन किया गया है।

आधारभूत संरचना—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं, यथा—परिवहन, संचार-व्यवस्था, ऊर्जा, का वर्णन किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए लागू किए गए बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति, 2011 का विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

जनसंख्या एवं अधिवास—राज्य की जनसंख्या, घनत्व एवं वितरण का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई जनसंख्या नीति को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। राज्य के मानव विकास सूचकांक और ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास भी इस अध्याय को सुशोभित करते हैं।

पर्यटन एवं पर्यटन स्थल—इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों के वर्णन किए गए हैं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई पर्यटन नीति को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

आपदा प्रबंधन—इस अध्याय में राज्य की विभिन्न प्रकार की आपदाओं, जैसे—बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं अन्य आपदाओं का वर्णन किया गया है। राज्य में आपदा को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधित कार्यों, अधिनियमों, प्राधिकरणों को भी सम्मिलित किया गया है। बिहार राज्य ने 'बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015-30' बनाया है। इसका भी विशद वर्णन किया गया है।

राज-व्यवस्था—इस अध्याय में राजनैतिक संरचना, व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्यपाल, विधानमंडल, मंत्रिपरिषद्, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, लोकायुक्त का वर्णन किया गया है। बिहार में गठन किए गए विभिन्न आयोगों का भी उल्लेख इस अध्याय में किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था—राज्य के प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, जैसे—प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड प्रशासन आदि, साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों की सामाजिक,

राजनैतिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है।

न्यायपालिका—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य की न्यायपालिका की संरचना का वर्णन किया गया है, जैसे—उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का विशद वर्णन किया गया है।

स्थानीय स्वशासन—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य की पंचायती राज-व्यवस्था एवं नगरीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। पंचायती राज-व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के गठन, कार्य एवं उनके अधिकारों का भी वर्णन है।

प्रमुख आर्थिक संकेतक—इस अध्याय में राज्य के प्रमुख आर्थिक संकेतकों को बताया गया है, जिसके अंतर्गत जनसांख्यिकी, राज्य के घरेलू उत्पाद, आर्थिक संरचना, क्षेत्रीय विषमता, राजकोषीय नीति को आँकड़ों के माध्यम से दिखाया गया है।

गरीबी—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार में गरीबी की स्थिति का रेखांकन है। इसके मापन तथा विभिन्न आयोगों द्वारा सुझाई गई मापन विधियों के आधार पर बिहार में गरीबी के आकलन का वर्णन किया गया है।

बेरोजगारी—इस अध्याय में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों एवं राज्य में पाए जानेवाले बेरोजगारों की संख्या के बारे में बताया गया है।

केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ—इस अध्याय के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ, जो राज्य के समावेशी विकास के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों, गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं, का विशद वर्णन किया गया है। ये योजनाएँ बिहार में किस प्रकार से चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं से क्या सफलताएँ प्राप्त हुई हैं, इसका भी आँकड़ा आधारित विश्लेषण है।

वित्तीय प्रणाली—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, निजी व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं, साख-ऋण अनुपात एवं अन्य प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्य में कार्य कर रही विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

नीतियाँ—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से विकसित बनाने के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों, जैसे—औद्योगिक नीति, स्टार्ट-अप नीति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञापन नीति, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम का वर्णन किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17 का विशद निरूपण है।

बिहार बजट, 2017-18—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार बजट, 2017-18 का विभागवार वर्णन किया गया है। विभिन्न विभागों को प्राप्त आवंटनों को भी इस अध्याय में दर्शाया गया है।

राज्य-विभाजन का प्रभाव—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार के विभाजन के बाद पड़नेवाले आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक प्रभावों को दर्शाया गया है। इसमें संसाधनों, ऋपरिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विभाजन से पड़नेवाले प्रभावों को भी दर्शाया गया है।

विशेष राज्य की माँग एवं विशेष पैकेज—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार की अपनी विशेष स्थिति के कारण

विशेष राज्य की माँग का वर्णन किया गया है, साथ ही प्रधानमंत्री प्रदत्त विशेष पैकेज का भी वर्णन है।

नक्सलवाद—बिहार में नक्सलवाद की स्थिति, उसके कारण एवं प्रभाव का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

विकास की संभावनाएँ—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार की वर्तमान स्थिति एवं विकास की संभावनाओं को दर्शाया गया है। वर्तमान में आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रसित होने के बावजूद भविष्य में विकास की संभावनाएँ मौजूद हैं, इसको तार्किक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

सुशासन एवं सात निश्चय—न्याय के साथ विकास के दृष्टिकोण को रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेने के लिए सुशासन की संकल्पना एवं इनको प्राप्त करने के लिए विकसित बिहार के 'सात निश्चयों' का वर्णन इस इस अध्याय में किया गया है।

बिहार दिवस—राज्य सरकार के द्वारा बिहारी अस्मिता को जाग्रत् एवं प्रदर्शित करने के लिए 'बिहार दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

समसामयिकी—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य घटनाओं तथा उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई है।

सांख्यिकी उपस्थापन—इस अध्याय में बिहार की समग्र जानकारी को आँकड़ों एवं चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो प्रतियोगी छात्रों एवं बिहार को जानने को इच्छुक पाठकों के लिए अधिक उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति, जो बिहार का अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता है, के लिए यह अध्याय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रश्नावली सेट—इस अध्याय के अंतर्गत छात्रों को अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को परखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सेट दिया गया है, जिसके माध्यम से वे अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, साथ ही परीक्षा के समय अपने विषयों को प्रश्नों के माध्यम से याद कर सकते हैं।

परिशिष्ट—बिहार से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों का संग्रह इस अध्याय में किया गया है।

उपर्युक्त विषय वस्तु से यह प्रमाणित होता है कि 'बिहार सामान्य ज्ञान' बिहार में आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को दृष्टि में रखकर लिखी गई पुस्तक है। इसे जान-बूझकर व्यापक बनाया गया है, जिनसे प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको अच्छी प्रकार से तैयार किया जा सके। हमारा उद्देश्य आपको इस प्रकार से तैयार करना है, जिससे आप चाहे प्रीलिम्स में बैठ रहे हों या मेंस में या साक्षात्कार बोर्ड के सामने हों, आपको कोई परेशानी न हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास है कि पुस्तक में विविध पक्षों—सैद्धांतिक, धारणात्मक तथा तथ्यात्मक (अद्यतन) से संबंधित उपलब्ध तथ्यों को एक स्थान पर एकत्र किया जाए। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक तथ्यात्मक तथा धारणात्मक समस्या के समाधान के लिए यह पुस्तक अंतिम विश्वसनीय प्रमाण सिद्ध होगी।

मैं एक प्रशासक हूँ और सरकार का अभिन्न अंग हूँ। हमारी तटस्थता हमारी पहचान है। अत: मेरी जिम्मेदारी भी अत्यंत संवेदनशील है। हमारा उद्देश्य राज्य एवं केंद्र सरकार पर दोषारोपण या प्रतिकूल टिप्पणी या आलोचना करने का नहीं रहा है। यदि कहीं कुछ इस तरह की बातें प्रदर्शित भी हो गई हों, तो वे मेरी नहीं, बल्कि संचार माध्यमों और आम जनता की भावनाओं की निश्छल अभिव्यक्ति मात्र हैं। फिर भी यदि किसी की भावना आहत होती है, तो मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ।

अंत में, इस पुस्तक की भाषा, शैली और रोचकता के संदर्भ में इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि यहाँ भाषा के विधात्मक पक्ष का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुबोध एवं ग्रहणीय है, जो छात्रों और सामान्य जनों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होगी, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है।

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का निम्न श्लोक इस पुस्तक की सार्थवत्ता को प्रमाणित करता है—

''न तद् ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥''

ज्ञान शिल्प, विद्या, कला, योग, कर्म की कोई भी विधा ऐसी नहीं, जो इस पुस्तक में न हो।

पुस्तक के प्रारूप निर्माण और लेखन में सर्वश्री दीपक कुमार, सुनील कुमार, नूर आलम खान, आशीष कुमार, प्रियरंजन, प्रवीण कुमार, अरविंद कुमार एवं प्रदुम्न कुमार का सक्रिय सहयोग मुझे मिला है। इनसे मिले सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

❑

1. इतिहास के स्त्रोत

(Sources of History)

पुरातात्त्विक स्त्रोत
साहित्यिक स्त्रोत

बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। संस्कृतियों और धर्मों के अद्भुत समन्वय ने इस भूमि को विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व भर में हुए घटनाक्रम किसी-न-किसी रूप में बिहार से जुड़े रहे हैं। बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान् मनीषियों, विद्वानों एवं राजा-महाराजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने न केवल बिहार का, बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया। सत्य, सदाचार और अहिंसा का उपदेश देनेवाले भगवान महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली बिहार ही है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान् जैसे दिग्विजयी राजाओं ने इस राज्य को सुदृढता और समुन्नति प्रदान की।

किसी भी काल एवं स्थान के इतिहास का निर्माण स्त्रोत के आधार पर होता है। बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित अनेक प्रकार के स्त्रोत उपलब्ध हैं। इनमें पुरातात्त्विक एवं साहित्यिक, दोनों प्रकार के स्त्रोत उपलब्ध हैं।

पुरातात्त्विक स्त्रोत

पूर्व ऐतिहासिक युग के स्त्रोत मुंगेर, सारण, वैशाली, गया एवं पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें सारण के चिराँद से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर, गया के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्रप्रस्तरयुगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पुरातात्त्विक स्त्रोत में शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्रलेख, स्मारक, भग्नावशेष, सिक्के आदि बिहार के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी का सबसे महत्त्वपूर्ण स्त्रोत हैं। बिहार के अनेक भागों से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक के लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभलेख, सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफालेख आदि प्रमुख हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा पर दो अभिलेख हैं। वैशाली जिले के बसाढ़ से महादेवी प्रभुदाया के भी दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

बसाढ़ से प्राप्त एक मुहर, जो महादेवी धुरवस्वामिनी की है, इसमें धुरवस्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की माँ बताया गया है।

गुप्तकाल के समय के प्राप्त अभिलेख संस्कृत भाषा के हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। बसाढ़ से मिट्टी की दो मुहरें मिली हैं, जिस पर लेख उत्कीर्ण है। बसाढ़ से प्राप्त एक मुहर, जो महादेवी धुरवस्वामिनी की है, में धुरवस्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की माँ बताया गया है। बोधगया से प्राप्त एक अभिलेख में श्रीलंका

के एक भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि महामना द्वितीय ने बोधगया में वज्रासन के समीप एक प्रासाद बनवाया था। नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त हुआ है। नवादा के निकट अफसढ़ गाँव से प्राप्त आदित्यसेन के गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक कृष्ण गुप्त से लेकर आदित्यसेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। बाँका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्यसेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। आरा के पास देव-वरुणार्क से जीवगुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है।

पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो संस्कृत भाषा में हैं। धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने गया में एक गाँव दान में दिया था। नालंदा के धोंसरावा से प्राप्त देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहारा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, के वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। देवपाल के मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख आदि भी प्राचीन बिहार के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं।

अजातशत्रु द्वारा निर्मित राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया है। केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी होटगाँव ने पहली बार दी थी। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किट्टो ने किया है तथा इसने ही कुर्कीकार कुहरार (पाटलिपुत्र) के टीले का उत्खनन करवाया था। कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्त्व विज्ञान का जनक कहते हैं, ने 1861 ई. में बिहार के विभिन्न पुरातात्त्विक स्थलों की पहचान की। कनिंघम ने ही बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग की खोज की। कनिंघम ने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गाँव की खोज की, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है। वहाँ से दो अभिलेख भी मिले हैं, जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है।

स्वतंत्रता के बाद 1949 ई. में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद बिहार के पुरातात्त्विक स्थलों की खोज में गति आई। के. देव एवं डॉ. अल्तेकर ने 1950 ई. में वैशाली और 1951 ई. में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था। 1962 ई. में राज्य पुरातत्त्व निदेशालय की स्थापना की गई।

बौद्धकालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा गया है, लेकिन बिहार के किसी भी भाग से अभी तक प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे सिक्के उत्तर-पश्चिम भारत (वर्तमान पाकिस्तान) के तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं।

सिक्कों का अध्ययन मुद्राशास्त्र (Numismatics) कहलाता है। सिक्के इतिहास के अध्ययन के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार में वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया है। उत्तर-वैदिक काल में जब बिहार में आर्यों का प्रभाव बढ़ा, तब विदेह, अंग और मगध क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 'वृहदारण्यक उपनिषद्' के अनुसार, विदेह के राजा जनक ने निष्क (सुवर्ण/शतनाम) सिक्के दान में दिए थे। बौद्धकालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा गया है, लेकिन बिहार के किसी भी भाग से अभी तक प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे सिक्के उत्तर-पश्चिम भारत (वर्तमान पाकिस्तान) के

तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ऐसे नौ सिक्के पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलत: आहत सिक्के ही हैं, जो कार्षापण, धारण या पूर्ण और पर्ण जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। बिहार में चाँदी और ताम्र सिक्के अनेक भागों से एन.बी.पी. (उत्तरकालीन चित्रित) स्थलों में प्राप्त हुए हैं। रजत आहत सिक्के लोहानीपुर, कुम्हरार, मनेर, मायागंज, राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली, फतुहा, भभुआ, सुपौल, मोतिहारी, नंदनगढ़, मुंगेर, पटना सिटी, गया, चिराँद, बक्सर से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के पाए गए हैं। बिहार के अनेक भागों में ये सिक्के मिले हैं। नालंदा में प्रतिहार राजा-भोज के सिक्के मिले हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं।

साहित्यिक स्रोत

साहित्यिक स्रोत में बिहार के इतिहास को जानने के लिए धार्मिक और गैर-धार्मिक, दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। धार्मिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य महत्त्वपूर्ण हैं। वैदिक साहित्य में 'ऋग्वेद', 'अथर्ववेद', 'शतपथ ब्राह्मण', 'वृहदारण्यक उपनिषद्' आदि महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बौद्ध साहित्य में 'अंगुत्तर निकाय', 'दीर्घनिकाय', 'विनयपिटक' तथा जैन साहित्य में 'भगवती सूत्र' आदि महत्त्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, जिससे बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। 'अंगुत्तर निकाय' एवं 'भगवती सूत्र' में पहली बार महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में मगध, लिच्छवी एवं अंग बिहार में स्थित थे। मध्यकाल में मिंहाजे सिराज की पुस्तक 'तबकाते नासिरी', अब्बास खाँ शेरवानी की 'तारीख-ए-शेरशाही' प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। 'तबकाते नासिरी' भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास है। यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है। 'तारीख-ए-शेरशाही' शेरशाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इख्तसान देहलवी की 'बसातीनुल उंस', शेख कबीर की 'अफसाना-ए-शाही', रिजकुल्लाह की रचना 'बकीयाते मुश्ताकी', गुलाम हुसैन सलीम की 'रियाज उल सलातीन' तथा गुलाम हुसैन तबात-बाई की रचना 'सीयर उल मुताखेरीन' आदि भी बिहार के मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त विद्यापति की 'कीर्तिलता' एवं 'कीर्तिपताका', ज्योतिरीश्वर की 'वर्णरत्नाकर' तथा चंदेश्वर की रचना 'रजनीरत्नाकर' भी मध्यकालीन बिहार का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचनाएँ, जैसे—कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र', पाणिनि की 'अष्टाध्यायी', 'गुप्तकालीन साहित्य', जियाउद्दीन बरनी की 'तारीख-ए-फिरोजशाही', बाबर की 'तुजके बाबरी', अबुल फजल का 'अकबरनामा' आदि भी बिहार के इतिहास को जानने का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

उपरोक्त पुरातात्त्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें यूनानी यात्री मेगास्थनीज की रचना इंडिका, फाहियान, ह्वेनसांग, ईत्सिंग आदि का यात्रा-वृत्तांत प्रमुख है। मुगलकाल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों में रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मॉनरिक, मनूची, टेबेर्नरियर आदि ने अपने यात्रा-वृत्तांत में बिहार के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य का वर्णन किया है।

❑

2. प्राक्-ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल

(Pre-Historical Age and Ancient Period)

प्राक्-ऐतिहासिक काल
ऐतिहासिक काल
प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
बिहार का राजनैतिक इतिहास
मगध साम्राज्य का उदय
मौर्योत्तर बिहार
गुप्तकालीन बिहार

बिहार में मानव सभ्यता के इतिहास को दो भागों में बाँटकर अध्ययन करते हैं—
1. प्राक्-ऐतिहासिक काल,
2. ऐतिहासिक काल।

प्राक्-ऐतिहासिक काल

आज से लगभग तीस हजार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मेधावी मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, का आविर्भाव हुआ। आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग एक लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं। ये साक्ष्य पुरापाषाण युग के हैं। इनमें पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। ऐसे अवशेष नालंदा और मुंगेर जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। प्राक्-ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण पाषाण युग कहलाता है। इस समय मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया। पत्थर के उपकरण में विविधता एवं विशेषताओं में परिवर्तन के आधार पर पाषाण युग को पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग में विभाजित किया जाता है। बिहार में भी प्राक्-ऐतिहासिक काल की मानव संस्कृति के विभिन्न चरणों के साक्ष्य अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

पुरापाषाण काल

ये उपकरण नालंदा की जेठियन घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाँध और पैसरा, भागलपुर के राजपोखर एवं भालीजोर तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुए हैं।

बिहार के नालंदा, गया, मुंगेर और भागलपुर जिलों में निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण

प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण नालंदा की जेठियन घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाँध और पैसरा, भागलपुर के राजपोखर एवं भालीजोर तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों से प्राप्त पाषाण उपकरण आशुलियन प्रकार के हैं। इन उपकरणों में कुल्हाड़ी, अस्क, स्क्रेपर (क्षुरणक), फलक, छुड़िया, अर्द्ध चांद्रिक, उत्कीर्णक, छुरी तथा खुरचनी आदि प्रमुख थे। इन उपकरणों का प्रयोग जानवरों का शिकार करने एवं चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। इस समय मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत शिकार एवं मछली पकड़ना तथा कंद-मूल एकत्रित करना था। इस समय मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था तथा प्राकृतिक आवास जैसे पहाड़ी चट्टानों एवं गुफाओं में रहता था। गया जिला की शेरघाटी में प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

नवपाषाण काल

नवपाषाण काल को मनुष्य द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण मानव जीवन का प्रथम क्रांति का काल कहते हैं। कृषि कार्य के कारण इस काल में स्थायी बस्तियों का विकास शुरू हुआ। कृषि प्रारंभ होने के कारण मानव गुफाओं से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में निवास करने लगा। बिहार में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल वैशाली के चेचर (श्वेतपुर) एवं कुतुबपुर, सारण के चिरौंद, पटना के मनेर, रोहतास के सेनुआर, गया के सोनपुर, ताराडीह एवं केऊर में मिले हैं। सारण के चिरौंद से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरौंद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चिरौंद का नामकरण चेरो शासक के नाम पर हुआ है। चिरौंद का उत्खनन 1962 ई. में हुआ। यहाँ से लगभग 2500-1345 ई.पू. के नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण के साथ-साथ काले चित्रित मृद्भांड भी प्राप्त हुए हैं। वैशाली के चेचर, जो हाजीपुर शहर से पूरब में गंगा-गंडक घाटी में स्थित है, से नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। ताराडीह गया जिले में फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि सेनुआर रोहतास जिले में कुर्दा नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त सभी स्थल नदी-घाटियों या नदी के तटों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होने के कारण मानव ने जल एवं उपजाऊ मिट्टी की सुविधा के कारण इन क्षेत्रों में अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू कीं।

चिरौंद का नामकरण चेरो शासक के नाम पर हुआ है। चिरौंद का उत्खनन 1962 ई. में हुआ। यहाँ से लगभग 2500-1345 ई.पू. के नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण के साथ-साथ काले चित्रित मृद्भांड भी प्राप्त हुए हैं।

पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल आते-आते मानवीय संस्कृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। नवपाषाण काल में पहली बार कृषि प्रारंभ होने के कारण स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। मानव के भौतिक जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण ही बाद के समय में ताम्र-पाषाण संस्कृति का विकास हुआ।

ताम्रपाषाण काल

मानव ने पहली बार धातु के रूप में ताँबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ताँबे का प्रयोग पत्थर के साथ किया गया। इसलिए इस युग को ताम्र-पाषाण युग कहा जाता है। बिहार में ताम्र-पाषाण संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सेनुआर, चिरौंद, चेचर तथा आरियप से प्राप्त हुए हैं। ताम्र-पाषाण संस्कृति में भी मनुष्य का जीवन कृषि एवं आखेट पर ही आधारित था। 1050 ई.पू. के आसपास गंगा घाटी में अतरंजीखेड़ा (उत्तर-प्रदेश) से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है। लोहे के आविष्कार के कारण ताम्र-पाषाण संस्कृति का स्थान लौह युग ने ले लिया।

लौह काल

लौह युग उत्तर-वैदिक युग का काल है, जिसमें मानवीय बस्तियों का विस्तार गंगा घाटी में उत्तरी बिहार तक हो चुका था। इस समय लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से औजार निर्माण में किया जाता था। लौह युग का दूसरा चरण, जो उत्तरी काले मृद्भांड (N.B.P.) का काल कहलाता है, में लोहे का उपयोग कृषि कार्य में भी होने लगा। इस समय गाँव धीरे-धीरे नगर में परिवर्तित होने लगे, जिससे पहली बार बिहार में नगरीकरण का साक्ष्य प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक काल

लोहे के प्रयोग में आने से मानव की संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया। नई भौतिक संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ। उत्तर-वैदिक काल (1000-600 ई.पू.) में वैदिक संस्कृति का विस्तार पूर्वी भारत में उत्तर बिहार तक हुआ। 'शतपथ ब्राह्मण' सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। इसमें आर्यों के विस्तार की चर्चा है। 'शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश किया। सरस्वती नदी उनका केंद्र थी, जिसके तट पर बड़े-बड़े यज्ञ एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था। 'शतपथ ब्राह्मण' में माधव विदेह एवं गौतम राहुगाण की कहानी है, जिसके अनुसार माधव विदेह ने ही आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था। उत्तर-वैदिक काल का मध्य चरण आते-आते आर्यों का विस्तार बिहार के मगध, अंग, बज्जि, विदेह, अंगुत्तरप्प, कौशिकी क्षेत्रों तक हो चुका था। राजा विदेह माधव एवं उनका पुरोहित गौतम राहुगाण सरस्वती नदी के तट से अग्नि को जलाते हुए पूर्वी भारत की ओर बढ़े तथा बिहार के विदेह क्षेत्र में गंडक नदी तक पहुँचे। गंडक नदी में अग्नि बुझ गई, जिसके कारण गंडक को सदानीरा भी कहा जाता है। इस तरह आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण 'शतपथ ब्राह्मण' से मिलता है। उत्तर-वैदिक युग के अंतिम चरण में विदेह की चर्चा उपनिषदों की रचना के कारण हुई है। विदेह के राजा जनक दार्शनिक एवं विद्वान् थे, जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी। 'वृहदारण्यक उपनिषद्' में विद्वान् याज्ञवल्क्य-गार्गी एवं याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद का वर्णन है। विदेह राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेयी रहती थीं।

'शतपथ ब्राह्मण' सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं, इसमें आर्यों के विस्तार की चर्चा है। 'शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार आर्यों सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश किया।

गंगा घाटी में पूर्व की ओर आर्यों के प्रसार का एक महत्त्वपूर्ण कारण लौह तकनीकी का विकास था और इस क्षेत्र में लौह उपकरण अधिक संख्या में उपलब्ध हुए थे। लोहे के कारण कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ, जिसके कारण प्राचीन बिहार में भी नगरीकरण प्रारंभ हुआ।

प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन

उत्तर-वैदिक काल में कृषि क्षेत्र में लोहे के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में जटिलता आने लगी। कृषि क्षेत्र में विस्तार होने से पशुओं की माँग बढ़ने लगी, जबकि उत्तर-वैदिक काल में हो रहे बड़े-बड़े यज्ञों में पशुबलि दी जाती थी।

ऋग्वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.) के अंतिम चरण में अर्थात् 1000 ई.पू. आते-आते सामाजिक जीवन में कई प्रकार की कुरीतियाँ आने लगीं। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, जो उत्तर-वैदिक काल का अंत होते-होते अपने जटिल स्वरूप में आ गया। छठी सदी पूर्व तक छुआछूत

जैसे कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थीं। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जो उत्तर-वैदिक काल का अंतिम चरण आते-आते दयनीय हो गई थी।

उत्तर-वैदिक काल के अंतिम चरण में (छठी सदी ई.पू.) सामाजिक जटिलता, कर्मकांड, छुआछूत, अस्पृश्यता आदि के विरोध में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. वर्ण-व्यवस्था की जटिलता एवं तनावपूर्ण सामाजिक जीवन।
2. धार्मिक जीवन से असंतोष।
3. नए धार्मिक विचारों का उदय।
4. नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव।

इस समय वैदिक धर्म के खिलाफ अनेक नास्तिक एवं अनीश्वरवादी संप्रदायों का उदय हुआ। केवल उत्तर भारत में लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय प्रमुख हैं। इन दोनों संप्रदायों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार ही रहा है।

बौद्ध धर्म

29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रात्रि के समय गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ ने रात्रि के समय अपने अश्व कंथक और सारथी छंदक के साथ गृह त्याग किया था।

बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु (वर्तमान पिपरहवा) के लुंबिनी गाँव के आम्रकुंज में हुआ था। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा सुयोधन एवं कोलीय कुल के कौशल की राजकुमारी महामाया देवी की संतान थे। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। अत: उनका पालन-पोषण मौसी एवं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम का अर्थ पालन-पोषण का नियम होता है तथा उनके गोत्र का नाम भी गौतम था। बुद्ध का जन्म चीनी साहित्य के अनुसार 563 ई.पू. में तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई.पू. में हुई थी। बुद्ध के जन्म के समय कालदेवल नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुयोधन से कहा कि यह बालक संन्यासी बनेगा। अत: राजा ने उनके महल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी एवं सारी सुख-सुविधाएँ महल के अंदर ही उपलब्ध कराईं। 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य गण की राजकुमारी यशोधरा, जिसके अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि भी हैं, से विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गौतम बुद्ध ने राहुल रखा। बुद्ध ने शहर भ्रमण के क्रम में क्रमश: चार चिह्न—वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत और संन्यासी को देखा। बौद्ध साहित्य 'दीर्घनिकाय' के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिह्न एक ही यात्रा में दिखाई दिए, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार अलग-अलग यात्रा में दिखाई दिए थे। संन्यासी को देखकर सांसारिक जीवन के प्रति गौतम बुद्ध का मोह भंग हो गया और उन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रात्रि के समय गृह-त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ ने रात्रि के समय अपने अश्व कंथक और सारथी छंदक के साथ गृह-त्याग किया था। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जबकि गृह त्याग की घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर अनोमा नदी के किनारे प्रव्रज्या (संन्यास) धारण किया। बुद्ध को ज्ञान-प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम दो प्रारंभिक गुरु पहले वैशाली में अलारकलाम, जो सांख्य दर्शन के विद्वान् थे तथा बाद में राजगृह में रुद्रक रामपुत्र मिले। इन दोनों की शिक्षाओं से गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और गया के पास उरुवेला (बोधगया) वन पहुँचे। उरुबेला वन में पाँच साथियों के साथ कठिन तपस्या प्रारंभ

की। इन साथियों में कौंडिल्य, अज, अस्सिग, वप्पा और भदिया थे। कठिन तपस्या के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब सभी साथी इन्हें पाखंडी घोषित करके चले गए। गौतम बुद्ध ने पुन: गया के पास निरंजना नदी (फल्गु) के तट पर तपस्या प्रारंभ की। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नामक कन्या के हाथ से तपस्या के 49वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब बुद्ध बोधिसत्त्व कहलाए। ज्ञान-प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस और भल्लिक नामक दो बंजारों को बोधगया में ही अपना शिष्य बनाया। ज्ञान-प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ (ऋषिपतन) के मृगदाब पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पाँच साथियों का प्रथम उपदेश दिया। यह प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की। इसके बाद बुद्ध वाराणसी पहुँचकर यश नामक श्रेष्ठीपुत्र के घर पर रुके। यश अपनी माता, पिता, पत्नी के साथ महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। यश की माता और पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएँ बनीं। वाराणसी से उरुवेला जाने के क्रम में बुद्ध से 30 धनी युवकों की मुलाकात हुई, जिनका नेता भद्र था तथा ये सभी भद्रवर्गीय थे। ये सभी बुद्ध के अनुयायी बन गए। उरुवेला से बुद्ध राजगृह पहुँचे, जहाँ बिंबिसार ने उन्हें वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, उपालि आदि इनके शिष्य बने। राजगृह से लुंबिनी पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया। माता प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होनेवाली प्रथम स्त्री थीं। अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। स्त्रियों को शामिल करते हुए बुद्ध ने कहा था कि जो बौद्ध धर्म हजार वर्ष तक चलता, वह अब पाँच सौ वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। लुंबिनी में उनका चचेरा भाई देवदत्त भी शिष्य बना।

ज्ञान-प्राप्ति के आठवें वर्ष वैशाली पहुँचे, जहाँ लिच्छवियों ने उन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। वैशाली में वैशाली की नगरवधू आम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्या बनी। मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी क्षेमा बुद्ध की शिष्या बनी थी। ज्ञान-प्राप्ति के बीसवें वर्ष बुद्ध कोसल की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे, जहाँ अँगुलिमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य बना। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई.पू. में दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावा में चुंद नामक सुनार के घर सूअर का मांस (शूकर मांस) खाने से उदर विकार हुआ, जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के समय आनंद ने बुद्ध से पूछा कि आपके बाद हमारे शास्ता (मार्गदर्शक) कौन होंगे? इस पर बुद्ध ने कहा कि मेरे बाद हमारा उपदेश ही तुम्हारा शास्ता होगा। बुद्ध का अंतिम वाक्य था—*अप्प दीपो भव।*

बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेष को प्राप्त करने के लिए आठ शासक पहुँचे थे। अत: उनके अस्थि अवशेष को आठ भागों में विभाजित कर दिया गया। इन आठों भाग पर स्तूप का निर्माण करवाया गया।

बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त कर उस पर स्तूप बनवानेवाले शासक निम्नलिखित थे—

शासक का नाम : अजातशत्रु

राज्य का नाम : मगध

शासक का नाम : शाक्य

राज्य का नाम : कपिलवस्तु

शासक का नाम : लिच्छवि

राज्य का नाम : वैशाली

शासक का नाम : ब्राह्मण

राज्य का नाम : वेठद्वीप

शासक का नाम : बुलि

राज्य का नाम : अलकंप

शासक का नाम : मल्ल

राज्य का नाम : पावा

शासक का नाम : मोरिय

राज्य का नाम : पिप्पलिवन

शासक का नाम : कोलिय

राज्य का नाम : रामगाम

गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी

1. सारिपुत्र
2. आनंद
3. मौद्गल्यायन
4. उपालि
5. सुनीत
6. अनिरुद्ध
7. अनाथ पिंडक
8. बिंबिसार
9. प्रसेनजित
10. अजातशत्रु
11. जीवक
12. महाकश्यप

बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियाँ

1. महाप्रजापति गौतमी
2. यशोधरा
3. नंदा
4. खेमा या क्षेमा
5. आम्रपाली

6. विशाखा

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

गौतम बुद्ध के उपदेश अत्यंत सरल थे। उन्होंने सबसे पहले चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया—

1. दुःख,
2. दुःख समुदाय,
3. दुःख निरोध,
4. दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा

गौतम बुद्ध ने दुःख निरोधगामिनी अर्थात् दुःख का नाश करने के लिए आष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ये आष्टांगिक मार्ग हैं—

1. सम्यक् दृष्टि अर्थात् सत्य और असत्य की पहचान करना।
2. सम्यक् संकल्प अर्थात् इच्छा और हिंसारहित संकल्प।
3. सम्यक् वाक् अर्थात् सत्य और मृदुभाषी।
4. सम्यक् कर्मांत अर्थात् सत्य काम करना।
5. सम्यक् आजीव अर्थात् सादा जीवन-यापन करना।
6. सम्यक् व्यायाम अर्थात् सही दिशा में किया गया कर्म।
7. सम्यक् स्मृति अर्थात् कर्मों के प्रति सजग रहना।
8. सम्यक् समाधि अर्थात् एकाग्रचित् होना।

बौद्ध धर्म में आष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए दस शील बताए गए हैं। ये दस शील जीवन का नैतिक आधार हैं। इन्हें शिक्षा पाद भी कहते हैं। ये दस शील निम्नलिखित हैं—

1. अहिंसा,
2. सत्य,
3. अस्तेय (चोरी नहीं करना),
4. अपरिग्रह (धन संग्रह नहीं करना),
5. ब्रह्मचर्य का पालन करना,
6. व्यभिचार नहीं करना,
7. मद्यपान नहीं करना,
8. असमय भोजन नहीं करना,
9. नाच-गाना से बचना,
10. सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना।

सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य बौद्ध धर्म में सभी के लिए अनिवार्य था, जबकि शेष पाँच बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे।

बौद्ध धर्म में दुःख के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 चक्र हैं, जिसे द्वादश निदान कहा गया है, जो निम्नलिखित है—

1. अविद्या,
2. संस्कार,

3. विज्ञान (चैतन्य),
4. नामरूप,
5. षडायतन (पाँच इंद्रियों तथा मन का समूह),
6. स्पर्श,
7. वेदना,
8. तृष्णा,
9. उपादान (सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा),
10. भव (शरीर धारण करने की इच्छा),
11. जाति (शरीर धारण करना),
12. जरा-रण।

बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता है। कर्मफल के सिद्धांत को मानता है अर्थात् कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति जीवन रहते संभव है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है।

गौतम बुद्ध के बाद अशोक, कनिष्क, हर्षवर्द्धन एवं पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, प्रचार-प्रसार किया। इस धर्म का केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान, मध्य एशिया आदि में प्रसार हुआ। भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. बौद्ध धर्म का सरल एवं जनवादी होना।
2. लोकप्रिय भाषा पाली का प्रयोग।
3. मध्यममार्गी धर्म।
4. राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, जैसे—बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक आदि ने हीनयान शाखा को संरक्षण दिया, जबकि कनिष्क, हर्षवर्द्धन, पाल शासक आदि ने महायान शाखा को संरक्षण दिया।
5. बौद्ध शिक्षण संस्थानों का योगदान, जैसे—नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि बौद्ध शिक्षण संस्थानों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
6. उग्र प्रतिस्पर्धा वाले संप्रदाय का अभाव।
7. बौद्ध धर्म ने समानता एवं स्वतंत्रता की भावना पर बल दिया।

लेकिन तीसरी से चौथी सदी आते-आते बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण इस समय बौद्ध मठों में फैला हुआ भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन था।

बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. बौद्ध मठों में फैला हुआ भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन।
2. विदेशी आक्रमण जैसे बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया गया।
3. राज्याश्रय का अभाव।
4. हिंदू धर्म का पुनरुत्थान।
5. हिंदू धर्म में समन्वय एवं एकीकरण की शक्ति।

बौद्ध संगीति

483 ई.पू. में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय सुभद्र नामक भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं। उसकी बातों से गौतम बुद्ध के अनुयायियों में बौद्ध धर्म में विभाजन का खतरा मँडराने लगा। अत: इसे रोकने के लिए बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चार बौद्ध संगीति आयोजित की गईं।

संगीति : प्रथम

वर्ष : 483 ई.पू.

स्थान : राजगृह की सप्तपर्णी गुफा

अध्यक्ष : महाकश्यप

शासक : अजातशत्रु

प्रमुख कार्य : सुत एवं विनयपिटक का संकलन

संगीति : द्वितीय

वर्ष : 383 ई.पू.

स्थान : वैशाली

अध्यक्ष : सर्वकामी

शासक : कालाशोक

प्रमुख कार्य : स्थविर एवं महासंधिक में विभाजन

संगीति : तृतीय

वर्ष : 249 ई.पू.

स्थान : पाटलिपुत्र

अध्यक्ष : मोगलिपुत्ततिस्य

शासक : अशोक

प्रमुख कार्य : अभिधम्मपिटक का संकलन

संगीति : चतुर्थ

वर्ष : 95 ई.

स्थान : कुंडलवन (कश्मीर)

अध्यक्ष : वसुमित्र, उपाध्यक्ष-अश्वघोष

शासक : कनिष्क

प्रमुख कार्य : हीनयान एवं महायान में विभाजन

बौद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को काफी प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की प्रमुख देन निम्नलिखित हैं—

1. बौद्ध धर्म ने भारतीय जीवन पद्धति को सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय धर्म प्रदान किया।
2. बौद्ध धर्म से ऊँचे नैतिक आदर्श का आगमन हुआ।
3. संघ व्यवस्था की शुरुआत हुई। संघ व्यवस्था गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी।
4. नवीन दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ।
5. मूर्तिपूजा का प्रारंभ हुआ।
6. लोक-साहित्य का विकास हुआ।
7. भारतीय कला में स्तूप, चैत्य आदि का विकास हुआ।

बौद्ध साहित्य

बौद्ध साहित्य को 'त्रिपिटक ग्रंथ' कहा जाता है। इसकी भाषा पाली है। यह 'त्रिपिटक', 'सुत्तपिटक', 'विनयपिटक', 'अभिधम्मपिटक' के नाम से जाना जाता है।

सुत्तपिटक—सुत्तपिटक में गौतम बुद्ध के शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित हैं। इसका संकलन आनंद द्वारा किया गया है। सुत्तपिटक के पाँच भाग हैं—

1. दीघ निकाय—इसमें बुद्ध के उपदेश, महापरिनिर्वाण सुत्त एवं आष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। बुद्ध घोष ने दीघ निकाय पर 'सुमंगलवासिनी' एवं 'सामंतपासादिका' नामक टीका लिखी है।

2. मज्झिम निकाय

3. अंगुत्तर निकाय—इसमें पहली बार सोलह महाजनपदों का वर्णन हुआ है।

4. संयुक्त निकाय

5. खुद्दक निकाय—इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है।

विनयपिटक—इसमें बौद्ध धर्म का नियम है। इसका संकलन उपाली द्वारा किया गया है। इसके तीन भाग हैं—

1. सुत विभाग,
2. खंदक,
3. परिवार।

अभिधम्मपिटक—इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। इसका संकलन मोगलिपुत्त तिस्स द्वारा किया गया है। इसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग कथावत्थु है।

अन्य प्रमुख ग्रंथ

बौद्ध साहित्य : जातक कथाएँ

लेखक : —

विवरण : इसकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है।

बौद्ध साहित्य : मिलिंदपन्हों

लेखक : नागसेन

विवरण : बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन का वार्त्तालाप है।

बौद्ध साहित्य : भाषा-पाली

लेखक : —

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : विशुद्धि मग्ग

लेखक : बुद्ध घोष

विवरण : बौद्ध धर्म का दार्शनिक निचोड़ है।

बौद्ध साहित्य : निदान काठा

लेखक : बुद्ध घोष

विवरण : यह पाली भाषा में गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है।

बौद्ध साहित्य : अट्ठ कथाएँ

लेखक : —

विवरण : त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य।

बौद्ध साहित्य : अभिधम्मकोष

लेखक : वसुबंधु

विवरण : इससे काल गणना एवं साल गणना की जानकारी मिलती है।

बौद्ध साहित्य : सुदर्भ पुंडरिक

लेखक : वसुबंधु

विवरण : यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात् स्वर्ग में बैठनेवाला कहा गया है।

बौद्ध साहित्य : प्रज्ञा पारमिता

लेखक : नागार्जुन

विवरण : इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है।

बौद्ध साहित्य : अकुतोमाया

लेखक : नागार्जुन

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : ललित विस्तार

लेखक : वसुमित्र

विवरण : इसे 'लाइट ऑफ एशिया' कहते हैं।

बौद्ध साहित्य : विभाषा सूत्र

लेखक : वसुमित्र

विवरण : कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित रचना है।

बौद्ध साहित्य : सौंदरानंद

लेखक : अश्वघोष

विवरण : इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है।

बौद्ध साहित्य : बुद्ध चरित्र

लेखक : अश्वघोष

विवरण : इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं।

बौद्ध साहित्य : दीपवंश

लेखक : —

विवरण : श्रीलंका का बौद्ध साहित्य इतिहास है।

बौद्ध साहित्य : महावंश

लेखक : भदंत महानामा

विवरण : इसमें अशोक को उज्जैन के वायसराय एवं उसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति कराए जाने की जानकारी

मिलती है। इस पर 'वंशपथ काशिनी' नामक टीका लिखी गई है।

बौद्ध साहित्य : दिव्यावदान

लेखक : —

विवरण : नेपाली साहित्य, जिसके दो भाग अशोकावदान और कुणालावदान है।

बौद्ध संप्रदाय

द्वितीय बौद्ध संगीति (383 ई.पू.) में बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास रखनेवाले बौद्ध भिक्षुओं को, जिन्हें स्थविर अथवा थेरावादी अथवा हीनसंघिक कहा गया, उन लोगों ने मतभेद रखनेवालों को बौद्ध संघ से बाहर कर दिया। बाहर होनेवाले अथवा परिवर्तन चाहनेवाले बौद्ध भिक्षुओं को महासंघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया। स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक महाकच्चायन था, जबकि महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक महाकश्यप था।

तृतीय बौद्ध संगीति, जो 249 ई.पू. में आयोजित किया गया था, के बाद स्थविर धीरे-धीरे भारत से समाप्त हो गए और उसके स्थान पर श्रावस्तिवाद या वैभाषिक संप्रदाय का विकास हुआ।

चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। हीनयान मूलत: स्थविरवादियों का संघ था, जबकि महायान महासंघिकों का संघ था। हीनयान वह संप्रदाय है, जो बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता है, जैसे—चार आर्य सत्य, आष्टांगिक मार्ग, दस शील आदि। इस संप्रदाय का आदर्श 'अहर्त्त' है। अहर्त्त वह है, जो केवल अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और मूर्तिपूजा का विरोध करते हैं।

महायान संप्रदाय बुद्ध के मूल विचारों में परिवर्तन की बात करता है। महायान में ही बुद्ध को देवता माना गया है तथा मूर्तिपूजा प्रारंभ हुई। महायानी साहित्य की भाषा संस्कृत है। महायान में सर्वमुक्ति की बात कही गई है अर्थात् बुद्ध को बोधिसत्त्व कहा गया है।

बौद्ध संघ

बुद्ध ने सारनाथ में अपने पाँच शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी अनिवार्य थी। कोई भी व्यक्ति माता-पिता की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। निम्न व्यक्तियों का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था—

1. 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
2. चोर,
3. हत्यारा,
4. ऋणी,
5. राजा का सेवक,
6. सैनिक,
7. रोगी।

जैन धर्म

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर की ऐतिहासिकता प्रमाणित है।

जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। विजय प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को जैन धर्म में वीतराग कहा गया है। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, जिनके प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर की ऐतिहासिकता प्रमाणित है। इनके पहले के 22 तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह-त्याग किया था। 83 दिन की तपस्या के बाद संवेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद की आलोचना की। इनके अनुयायी निर्ग्रंथी कहलाते थे। निर्ग्रंथी का अर्थ है—बंधन से मुक्त होना। इनके प्रमुख शिष्य केशी थे। इन्होंने चार मूल शिक्षा दीं, जो निम्नलिखित है—

1. सत्य,
2. अहिंसा,
3. अस्तेय (चोरी नहीं करना),
4. अपरिग्रह (धन जमा नहीं करना)।

24वें तीर्थंकर महावीर के माता-पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ई.पू. में हुआ था। इनका माता त्रिशला (विदेहदत्ता) लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञातृ कुल के क्षत्रिय थे। महावीर का विवाह कुंडियन गोत्र की यशोदा से हुआ था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ई.पू. में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्द्धमान था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्द्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह-त्याग किया था। गृह त्याग के 13 माह बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिका ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान-प्राप्ति के बाद महावीर कैवल्य कहलाए। कैवल्य का अर्थ होता है—सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करनेवाला। इनके अनुयायी जैनी कहलाते हैं तथा इनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम थे। ज्ञान-प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। उनका प्रथम शिष्य जमाली बना। इनके समकालीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रद्योतसेन आदि इनके अनुयायी थे।

महावीर जैन की शिक्षा

जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है, जिसे तीन जौहर भी कहा जाता है। त्रिरत्न के सिद्धांत में शामिल हैं —

1. सम्यक् कर्म या व्यायाम,
2. सम्यक् ज्ञान,
3. सम्यक् विश्वास।

इन तीनों में सर्वाधिक बल सम्यक् कर्म पर दिया गया है। जैन धर्म भी अनीश्वरवादी धर्म है। यह आत्मा और

पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए पंच महाव्रत बताया गया है। ये पंच महाव्रत हैं—

1. सत्य,
2. अहिंसा,
3. अस्तेय,
4. अपरिग्रह,
5. ब्रह्मचर्य।

इनमें प्रथम चार के बारे में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने बताया, जबकि ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ा। जैन मुनियों के लिए पंच महाव्रत का पालन करने के कठोर नियम बताए गए हैं, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए इसे उदार बनाया गया है, जिसे अनुव्रत कहते हैं।

पंच महाव्रत एवं अनुव्रतों के अतिरिक्त तीन गुणव्रत एवं चार शिक्षाव्रत के पालन एवं अनुकरण पर भी जैन धर्म में महत्त्व प्रदान किया गया है।

तीन अनुव्रत

1. प्रत्येक गृहस्थ को सुविधानुसार कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।
2. केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करना चाहिए।
3. भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

चार शिक्षाव्रत

1. देशविरति—किसी देश-प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का व्रत।
2. सामयिक व्रत—दिन में चार बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना।
3. प्रोपोद्योपवास—उपवास व्रत करना।
4. वैयावृत्य—दान, पूजा आदि करना।

जैन धर्म में कायाक्लेश का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपवास द्वारा देह-त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे संलेखनापद्धति (संथारा) एवं निसिद्धी कहा जाता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला (मैसूर) में इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे।

जैन दर्शन

जैन धर्म आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन और जैन धर्म में निकट संबंध है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन देवता का स्थान जिन/महावीर से नीचे रखा गया है। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बँटा हुआ है। प्रत्येक चक्र की दो अवधियाँ उत्सर्पिणी अर्थात् विकास की अवधि तथा अवसर्पिणी अर्थात् ह्रस की अवधि है। इस धर्म में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। यह संसार जीव और अजीव से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्त्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्त्व है।

जैन धर्म में पाँच प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है—

1. मति अर्थात् इंद्रियजनित ज्ञान।

2. श्रुति अर्थात् सुनकर अर्जित ज्ञान।
3. अवधि अर्थात् दिव्य ज्ञान।
4. मन:पर्याय अर्थात् दूसरों की मन की बात जाननेवाला ज्ञान।
5. कैवल्य अर्थात् पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति।

जैन धर्म में अनेकांतवाद तथा स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है। स्यादवाद को 'सप्तभंगिनय' भी कहते हैं। जैनियों ने परम तत्त्व की व्याख्या के लिए 'सप्तभंग' न्याय की कल्पना की है। दार्शनिकवाद की दृष्टि से इसे स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद का अर्थ है—संभवत:। स्यादवाद के सात अंग निम्नलिखित है—

1. स्याद अस्ति—शायद है।
2. स्याद नास्ति—शायद नहीं है।
3. स्याद अस्ति च नास्ति—वस्तु शायद है और नहीं भी है।
4. स्याद अवक्तव्यम्—कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
5. स्याद अस्ति अवक्तव्यम्—शायद है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है।
6. स्याद नास्ति अवक्तव्यम्—शायद नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता है।
7. स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम्—शायद है, नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता है।

जैन धर्म में कर्म और बंधन की व्याख्या की गई है। इसमें आठ प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कर्म का जीव को पकड़ लेना ही बंधन है। ज्ञान के द्वारा इन आठों प्रकार के कर्मों का नाश किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कर्म योग जगत् और भोगायतन शरीर के कारण उत्पन्न होता है। जैन धर्म के अनुसार, शरीर अथवा जीव स्वभाव से मुक्त है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव कर्म-बंधन में फँस जाता है। जीव के साथ कर्म का संयोग और वियोग की पाँच अवस्थाएँ बताई गई हैं। जैन धर्म में पाँच अवस्था को पदार्थ कहा गया है, जो निम्न हैं —

1. आस्तव—कर्म का जीव की ओर बहाव।
2. बंधन—कर्म जीव में घुसकर जीव को जकड़ लेता है।
3. संबर—इसमें कर्म का जीव की ओर बहाव के मार्ग को अवरुद्ध किया गया, जिससे अब कर्म जीव में न घुस सके।
4. निर्जरा—इसमें ज्ञान के द्वारा जीव में घुसे हुए कर्म का नाश कर देते हैं।
5. मोक्ष—जब कर्म का अंतिम रूप से नाश हो जाता है, तब जीव सर्वज्ञ एवं सर्वत्र रूप से चमकने लगता है तथा प्रकाशमान हो जाता है। इस अवस्था को मोक्ष या कैवल्य कहते हैं।

जैन संगीति

संगीति : प्रथम

वर्ष : 322-298 ई.पू.

स्थान : पाटलिपुत्र

अध्यक्ष : स्थूलभद्र

शासक : चंद्रगुप्त मौर्य

प्रमुख कार्य : 12 अंगों का संकलन तथा श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजन

संगीति : द्वितीय

वर्ष : 512 ई.

स्थान : वल्लभी

अध्यक्ष : देवार्धिक्षमाश्रवण

शासक : —

प्रमुख कार्य : जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया।

जैन साहित्य

जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। इसकी भाषा प्राकृत है। कुछ जैन साहित्य की रचना मागधी एवं अर्द्धमागधी भाषा में भी की गई है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत आनेवाले मुख्य साहित्य निम्न हैं—

1. चौदह पूर्वास—यह दिगंबर जैन का एकमात्र साहित्य है।

2. बारह अंग—इसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी। इसके प्रमुख अंग हैं—

• **अचरांग सूत्र**—इसके अंतर्गत जैन भिक्षुओं के पालन से संबंधित नियम संकलित हैं।

• **भगवती सूत्र**—इसमें स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है एवं जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र भी है। भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन है।

• **उत्तराध्यण सूत्र**—इसमें इंद्रभूति गौतम तथा केसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है। इससे ही जैनमत का विकास हुआ है।

3. कल्पसूत्र—इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें 11 गणधरों की चर्चा है। गणधर वह है, जो महावीर के समकक्ष है। जैन धर्म में गणधर का वही स्थान है, जो बौध धर्म में आनंद का है।

4. परिशिष्टिपर्वण—इसकी रचना हेमचंद्र द्वारा की गई है। हेमचंद्र गुजरात में चालुक्य वंश के दरबार में रहनेवाला विद्वान् था। 1200 ई. में हेमचंद्र भद्रबाहु के समकक्ष एवं भद्रबाहु के बाद जैन धर्म का सबसे बड़ा विद्वान् था। परिशिष्टिपर्वण जैन धर्म का लघु इतिहास है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला (मैसूर) पहुँचा, जहाँ अन्न त्यागने से उसकी मृत्यु हो गई।

चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला (मैसूर) पहुँचा, जहाँ अन्न त्यागने से उसकी मृत्यु हो गई।

5. अवसादगाओ—इसमें जैन धर्म में शामिल होनेवाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है।

जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय

1. श्वेतांबर—मगध साम्राज्य में अकाल के दौरान स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे और

उन्होंने श्वेतवस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। श्वेतांबर जैनियों को यति, साधु तथा आचार्य कहा जाता है। ये नियमों का पालन करने में उदार होते हैं। श्वेतांबर अनुयायी भोजन को आवश्यक समझते हैं तथा इनका मानना है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी पुत्री भी थी।

2. दिगंबर—चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए और ये वस्त्र त्याग दिए। दिगंबर अनुयायी नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। इनके लिए दिशा और आसमान ही इनका वस्त्र है (दिक् + अंबर)। दिगंबर जैनियों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। दिगंबर मानते थे कि ज्ञान-प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। ये महावीर को अविवाहित मानते थे।

कालांतर में श्वेतांबर और दिगंबर भी अनेक उप-संप्रदायों में विभाजित हो गए—

1. श्वेतांबर के उप-संप्रदाय—पुजेरा या डेरावासी एवं ढूढिया या स्थानकवासी।

2. दिगंबर के उप-संप्रदाय—बीसापंथी, थेरापंथी तथा समैयापंथी या तारणपंथी।

पुजेरा मंदिरमार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, जबकि ढुढिया या स्थानकवासी केवल सिद्धांतों को मानते हैं। बीसपंथी तथा थेरापंथी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जबकि तारणपंथी मूर्तिपूजक नहीं हैं।

बौद्ध एवं जैन संप्रदाय के अतिरिक्त छठी सदी ई.पू. में स्थापित होनेवाले अन्य नास्तिक संप्रदाय निम्नलिखित थे—

1. अक्रियावादी संप्रदाय—इसके संस्थापक पूरणकश्यप थे। इस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है।

2. आजीवक संप्रदाय—इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। यह धार्मिक लोगों का एक समूह था। मौर्य शासक बिंदुसार, अशोक एवं अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को सरंक्षण दिया था।

3. भौतिकवादी संप्रदाय—इस संप्रदाय के संस्थापक अजित केशकंबली थे। इसे लोकायत संप्रदाय भी कहते हैं। इसी ने चार्वाक दर्शन का विकास किया था। चार्वाक का अर्थ होता है—सुंदर बोलनेवाले लोगों का समूह। चार्वाक दर्शन के अनुसार वेद की रचना झूठे, मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी। यह ईश्वर एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में केवल अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है। इस संप्रदाय का प्रसिद्ध वाक्य है—यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। भस्मी भूतस्य कर्तारौ भण्डधूर्तनिशाचराः॥ अर्थात् मनुष्य जब तक जीवित रहे, तब तक सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए अर्थात् सुख भोग के लिए जो भी उपाय करना पड़े, करे।

4. अनिश्चयवादी संप्रदाय—इसके संस्थापक संजय वेठलीपुत्र थे। इसके अनुसार किसी प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह संदेहवादी संप्रदाय है।

बिहार का राजनैतिक इतिहास

भारत के राजनैतिक इतिहास का निर्धारण सर्वप्रथम पॉर्जिटर द्वारा करने का प्रयास किया गया है। ऋग्वैदिक काल में प्रजा आश्रित 'जन' शब्द का प्रयोग राजनीतिक इकाई के रूप में मिलता है। उत्तर-वैदिक काल में क्षेत्र-आश्रित जनपद शब्द का प्रयोग होने लगा। 600 ई.पू. के आसपास कई जनपदों के मिलने से महाजनपद का निर्माण हुआ। बौद्धकाल में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। 16 महाजनपदों की प्रथम जानकारी बौद्ध साहित्य 'अंगुत्तर निकाय' और जैन साहित्य 'भगवती सूत्र' से मिलती है। 16 महाजनपद निम्न थे—

क्रमांक : 1

महाजनपद : काशी

राजधानी : वाराणसी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 2

महाजनपद : कोसल

राजधानी : अयोध्या एवं श्रावस्ती

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 3

महाजनपद : अंग

राजधानी : चंपा

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 4

महाजनपद : मगध

राजधानी : राजगृह या गिरिव्रज

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 5

महाजनपद : वज्जि

राजधानी : वैशाली

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 6

महाजनपद : मल्ल

राजधानी : उत्तरी मल्ल—कुशीनगर

दक्षिणी मल्ल—पावापुरी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश एवं बिहार

क्रमांक : 7

महाजनपद : चेदि

राजधानी : शक्तिमती

वर्तमान स्थिति : पंजाब

क्रमांक : 8

महाजनपद : वत्स

राजधानी : कौशांबी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 9

महाजनपद : पुरु

राजधानी : इंद्रप्रस्थ

वर्तमान स्थिति : हरियाणा

क्रमांक : 10

महाजनपद : पांचाल

राजधानी : उत्तरी पांचाल-अहिच्छत्र

दक्षिणी पांचाल-कापिल्य

वर्तमान स्थिति : पंजाब

क्रमांक : 11

महाजनपद : मत्स्य

राजधानी : विराट नगर

वर्तमान स्थिति : राजस्थान

क्रमांक : 12

महाजनपद : शूरसेन

राजधानी : मथुरा

वर्तमान स्थिति : पश्चिमी उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 13

महाजनपद : अश्मक

राजधानी : पाटन/पोतन

वर्तमान स्थिति : आंध्र प्रदेश

क्रमांक : 14

महाजनपद : अवंति

राजधानी : उत्तरी अवंति—उज्जैन

दक्षिणी अवंति—माहिष्मती

वर्तमान स्थिति : मध्य प्रदेश

क्रमांक : 15

महाजनपद : गांधार

राजधानी : तक्षशिला

वर्तमान स्थिति : अफगानिस्तान

क्रमांक : 16

महाजनपद : कंबोज

राजधानी : हाटक

वर्तमान स्थिति : अफगानिस्तान

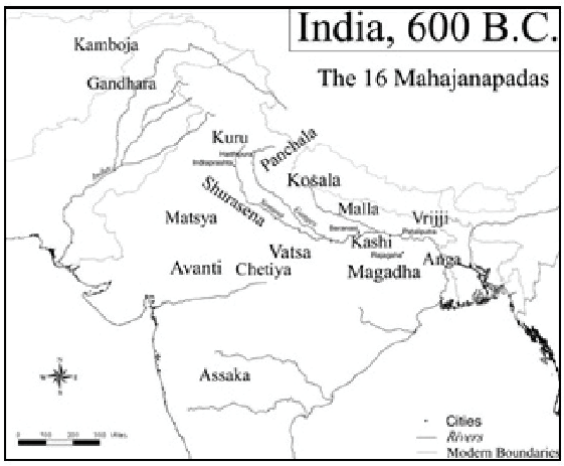

वज्जि संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता है। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ था।

उपर्युक्त 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद गांधार और कंबोज अफगानिस्तान में स्थित थे, लेकिन गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद मगध, अंग एवं वज्जि बिहार में स्थित थे। अंग, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, की राजधानी वर्तमान भागलपुर के निकट चंपा में थी। पाणिनिरचित 'अष्टाध्यायी' में अंग को वंग, कलिंग तथा पुंड्र आदि भी कहा गया है। अंग महाजनपद बिहार के पूर्वी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था। इस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। महाभारत एवं पुराण के अनुसार राजा बलि के छह पुत्रों में से एक अंग ने अंग महाजनपद की स्थापना की। इन्हीं स्रोतों के अनुसार पृथुलाक्ष के पुत्र चंप के नाम पर चंपा नगर की स्थापना हुई, जो बाद में अंग की राजधानी बनी। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने जब मगध के शासक बिंबिसार के पिता भत्ति को पराजित किया, तब बिंबिसार ने क्रोधित होकर अंग पर आक्रमण कर दिया और छोटानागपुर क्षेत्र के शासक नागराज की सहायता से ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। अंग पर अधिकार करने के बाद बिंबिसार ने एक ब्राह्मण शेणदंड को चंपा का जागीरदार नियुक्त किया। इस तरह ब्रह्मदत्त अंग महाजनपद का अंतिम शासक था। मगध के शासक अजातशत्रु के समय अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया। 16 महाजनपदों में 5 महाजनपद अपनी भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण शक्तिशाली होकर उभरे। 5 महाजनपद निम्नलिखित शासकों के अधीन शक्तिशाली होकर उभरे थे—

1. हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य।
2. इक्ष्वाकु वंश के प्रसेनजित् के नेतृत्व में कोसल।
3. पोरव वंश के उदयन के नेतृत्व में वत्स।
4. प्रद्योतसेन के नेतृत्व में अवंति।
5. आठ संघों का गणराज्य वज्जि।

वज्जि महाजनपद की स्थापना 725 ई. पू. के आसपास हुई थी। यह आठ राज्यों का एक संघ था। इस संघ में शामिल राज्य निम्नलिखित थे—लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जि, उग्र, भोग, कौरव एवं इक्ष्वाकु। इसमें लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रिक की कुंडग्राम तथा वज्जि का कोल्लाग थी।

संपूर्ण वज्जि संघ की राजधानी वैशाली थी। इन आठ राज्यों में लिच्छवी सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य था। अत: वज्जि

संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता है। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ था।

मगध के शासक बिंबिसार ने लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेल्लना के साथ विवाह किया था, जिसके कारण मगध और लिच्छवी संघ में बिंबिसार के समय मित्रता स्थापित हुई, लेकिन बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के विरुद्ध वज्जियों ने मल्लों एवं कोसल के गणराज्यों के साथ मिलकर एक महासंघ का निर्माण किया था, जिस महासंघ में लिच्छवी के नौ गणराज्य, मल्ल के नौ गणराज्य तथा काशी एवं कोसल के 18 गणराज्य शामिल हुए थे। बौद्ध विद्वान बुध घोष के अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था, जिसके तहत राजा का चुनाव होता था। वज्जि संघ के शासन को चलाने के लिए 7707 राजा होते थे। राजा के साथ-साथ उप-राजा, सेनापति एवं भंडागारी का भी चुनाव होता था। लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन संस्थागार नामक भवन में होता था। लिच्छवी राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी, जो गणराज्य की सर्वोच्च सभा थी।

संस्था के अतिरिक्त अष्टकुल नामक एक संस्था थी, जिसमें वज्जि संघ के सभी आठ गणराज्यों का प्रतिनिधि होता था, जो न्याय महासमिति का कार्य करता था। ग्राम एवं नगर प्रशासन की देख-रेख के लिए गमगामीणि एवं पूर्णगामिक की नियुक्ति होती थी। गमगामीणि गाँव का मुखिया होता था, पूर्णगामिक औद्योगिक उत्पादन इकाइयों का प्रधान था। गौतम बुद्ध ने वज्जियों की गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कहा था कि जब तक वज्जि संघ के लोग अपने सात आवश्यक धम्मों का पालन करते रहेंगे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। वज्जि संघ की बैठकों की अध्यक्षता गणप्रमुख करता था तथा बैठकों में गणपूर्ति अनिवार्य थी। गणपूर्ति की संख्या 20 निर्धारित थी। वज्जि संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था। मत-पत्र प्रत्येक सदस्य को दिया जाता था, जो लकड़ी की बना होता था एवं अलग-अलग रंगों का होता था।

बिंबिसार, उदयन, प्रद्योतसेन और प्रसेनजित्, चारों छठी शताब्दी ई.पू. के उत्तरार्ध में हुए। ये सभी बुद्ध एवं महावीर के समकालीन थे। इन पाँचों के बीच आपसी वर्चस्व के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः मगध विजयी हुआ।

मगध साम्राज्य का उदय

मगध शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग है, जिसमें मूलरूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद के क्षेत्र स्थित हैं। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु राजगृह एवं पाटलिपुत्र था। अपनी भौगोलिक स्थिति एवं आर्थिक संसाधनों की संपन्नता के कारण अन्य महाजनपदों पर मगध श्रेष्ठता स्थापित करने में सफल रहा।

मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण

1. भौगोलिक स्थिति—मगध की राजधानी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी था। अतः यह बाह्य आक्रमण से सुरक्षित था। मगध से गंगा और सोन नदी गुजरती थी, जिससे जल यातायात की सुविधा थी। गंगा की दक्षिणी घाटी अधिक उपजाऊ थी, जो कृषि के लिए उत्तम थी।

2. खनिज पदार्थों की उपलब्धता—मगध के दक्षिणी भाग में लोहा, ताँबा तथा वन संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। लोहे की उपलब्धता के कारण उत्तम हथियार बनाने में सहायता मिली तथा कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई।

3. अन्य गणराज्यों का पतन—मगध क्षेत्र में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ, जिसका समर्थन इस क्षेत्र के

शासकों ने किया। बौद्ध एवं जैन धर्म के समर्थन के कारण उस क्षेत्र की जनता द्वारा शासकों को बड़े पैमाने पर सहयोग प्रदान किया गया।

वृहद्रथ वंश

यद्यपि मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश है, जिसके नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, लेकिन पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश वृहद्रथ वंश था। इस वंश का संस्थापक वृहद्रथ था। इसके पिता का नाम चेदिराज वसु था। इसकी राजधानी वसुमती या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जरासंध हुआ। महाभारत में जरासंध एवं भीम के बीच मल्ल युद्ध का वर्णन मिलता है। एक मान्यता के अनुसार राजगृह की चट्टानों में इस युद्ध का पद-चिह्न आज भी दिखाई देता है। इसने काशी, कोसल, चेदि, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार के राजाओं को भी पराजित किया। जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी और अपने पुत्र को राजा बना दिया। बाद में एक दरबारी महीय ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया।

जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी और अपने पुत्र को राजा बना दिया।

हर्यक वंश

मगध एवं बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य को माना जाता है, जिसका संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणिक है।

काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजित् के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रसेनजित् पराजित हुआ और उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली।

बिंबिसार (544-492 ई.पू.)—बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा तथा इसके नेतृत्व में ही मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। राजगृह का नियोजन वास्तुकार महागोविंद ने किया था। बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए तीन प्रकार की नीतियाँ अपनाईं—

1. वैवाहिक संबंध की नीति—इसने मगध साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत कोसल के राजा प्रसेनजित् की बहन कोशला देवी से विवाह करके दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना (चेतक की पुत्री) के साथ तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया।

2. मैत्री की नीति—बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मैत्री की नीति अपनाई। उसने अवंति शासक प्रद्योतसेन के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया तथा उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा।

3. विजय की नीति—बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने लघुपुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। इतिहास में बिंबिसार को ऐसा प्रथम शासक माना जाता है, जिसने स्थायी सेना रखी तथा पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया। 493 ई.पू. में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना।

अजातशत्रु—493-461 ई.पू.

अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की भाँति साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसका उपनाम कुनिक था। इसके शासन काल में तीन महत्त्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिसके परिणाम अजातशत्रु के पक्ष में रहे।

कोसल के साथ संघर्ष—बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कोशल देवी की भी मृत्यु दु:ख के कारण हो गई, जिससे प्रसेनजित् ने क्रोधित होकर मगध को दिए गए काशी के अनेक गाँवों पर पुन: अधिकार कर लिया। काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजित् के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रसेनजित् पराजित हुआ और उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। दूसरी बार युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ, लेकिन प्रसेनजित् की पुत्री वाजिरा के साथ अजातशत्रु ने विवाह करके संघर्ष को समाप्त किया। अजातशत्रु के शासन काल में ही कोसल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया।

वज्जि संघ के साथ संघर्ष—कोसल विजय के बाद अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार के सहयोग से वज्जि संघ में फूट डाल दी। उसके बाद 16 वर्षीय युद्ध में इसने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने कंटक-शिला एवं गदा-मूसल जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। वज्जि से युद्ध करने लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर अजातशत्रु ने एक सैनिक छावनी का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जानी गई। अवंति नरेश प्रद्योत के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखकर अजातशत्रु ने राजगृह में सुरक्षा दुर्ग बनवाया, जो भारत में स्थापत्य निर्माण का प्राचीनतम उदाहरण है।

मल्ल के साथ संघर्ष—लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैवाहिक संबंध के द्वारा अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना लिया।

अजातशत्रु ने अपने शासन के दसवें वर्ष में गौतमबुद्ध के महापरिर्वाण के पश्चात् उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु से वैशाली की नगरवधू आम्रपाली प्रेम करती थी। इसके शासन काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन उसकी हत्या कर स्वयं मगध साम्राज्य का शासक बना।

उदयन (461-444 ई.पू.)

उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में चंपा का राज्यपाल था। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता ग्रहण किया था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की। उदयन जैन अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। अवंति के राजा पोलक ने उदयन की हत्या करा दी।

काशी के अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक को पुराण में 'दर्शक' भी कहा गया है।

शिशुनाग वंश (412-345 ई.पू.)

काशी का राज्यपाल शिशुनाग 412 ई.पू. में मगध का राजा बना। इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने वत्स, अवंति, कौशांबी पर विजय प्राप्त की। 394 ई.पू. में शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र कालाशोक (काकर्ण) मगध की गद्दी पर बैठा। इसने मगध की राजधानी पुन: पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक ही हुआ। इसके शासन काल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की 'द्वितीय संगीति' का आयोजन 383 ई.पू. में हुआ। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था।

नंद वंश (345-321 ई.पू.)

महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध साम्राज्य पर अधिकार किया तथा नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के समय मगध की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुँची। इस वंश के अधीन नंद एवं उसके आठ पुत्रों ने शासन किया। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक महापद्मनंद एवं घनानंद थे। महापद्मनंद को 'कलि का अंश', 'सर्वक्षत्रांतक', 'दूसरे परशुराम का अवतार', 'भार्गव', एकराट आदि कहा गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मनंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएँ गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर गईं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय-पताका फहरानेवाला पहला मगध का शासक महापद्मनंद ही हुआ। उसने उड़ीसा को जीता तथा वहाँ नहर बनवाई थी। इस विशाल साम्राज्य में एकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी।

वह उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था। महापद्मनंद के बाद मगध का अंतिम शासक घनानंद हुआ, जिसके समय में, 326 ई.पू. में, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। 322 ई.पू. में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर नंदवंश को समाप्त किया। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे तथा शूद्र जाति से संबंधित थे।

मौर्य वंश (321-185 ई.पू.)

नंद वंश के अंतिम सम्राट् घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए।

शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक ही हुआ। इसके शासन काल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की 'द्वितीय संगीति' का आयोजन 383 ई.पू. में हुआ।

चंद्रगुप्त मौर्य—मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। 'ब्राह्मण ग्रंथ', 'विष्णु पुराण' तथा 'मुद्राराक्षस' के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, जबकि स्पूनर के अनुसार वह पारसीक था। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे मोरीय क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, आदि नामों से भी जाना जाता है।

कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिम के राज्य पंजाब एवं सिंध को विजित किया। इसके बाद मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात् सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। भारत विजय को ध्यान में रखते हुए काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा, जहाँ उसका सामना की सेना से हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ तथा उसने 303 ई.पू. चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा दहेज के रूप में उसने हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल को दिया। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहारस्वरूप प्रदान किए। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामक पुस्तिका की रचना की।

चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। शासन के अंतिम वर्ष में वह अपना सिंहासन त्यागकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला (मैसूर) में चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चला गया, जहाँ उसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए।

बिंदुसार (298-273 ई.पू.)

चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ई.पू. में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। यूनानियों ने इसे अमित्रचेट्स या 'अमित्रघात' कहा है, जिसका अर्थ है—शत्रुओं का नाश करनेवाला। इसका एक अन्य नाम

सिंहसेन भी था।

सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामक पुस्तिका की रचना की।

बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया था। सीरिया के शासक एंटियोक प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत तथा मिस्र के शासक टॉल्मी द्वितीय फिलाडेलफस ने 'डायनोसियस' नामक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार अपने पिता की भाँति प्रशासन का कार्य करता था, उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किया। प्रशासनिक कार्यों के लिए उसने मंत्रिपरिषद् की स्थापना की तथा अनेक महामात्यों की नियुक्ति भी की। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया तथा 273 ई.पू. में उसकी मृत्यु हो गई।

अशोक (273-232 ई.पू.)

बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान् हुआ, जो 273 ई.पू. में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर सम्राट् बना, लेकिन इस विषय में मतभेद है। अशोक का अपने भाइयों के साथ संघर्ष हुआ, जो 4 वर्षों तक चला, क्योंकि अशोक 273 ई.पू. में शासक नियुक्त हुआ और 4 वर्ष बाद 269 ई.पू. में उसका राज्याभिषेक हुआ।

नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला का गवर्नर था, जबकि श्रीलंका साहित्य के अनुसार वह उज्जैन का गवर्नर था। अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक कहा गया है। अशोक नाम का उल्लेख उसके चार अभिलेखों—मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम में मिलता है। भाब्रू अभिलेख में उसे 'प्रियदर्शी', जबकि मास्की में 'बुद्ध शाक्य' कहा गया है।

अशोक ने अपने जीवन में एकमात्र कलिंग युद्ध लड़ा, जिसकी जानकारी 13वें बृहत शिलालेख से मिलती है। यह युद्ध शासन के 8वें वर्ष 261 ई.पू. में लड़ा गया। इस युद्ध की विभीषिका ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपनाया एवं विश्व का प्रथम शांति प्रवर्तक बना। कौटिल्य के अनुसार, कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था, जबकि प्लिनी के अनुसार व्यापार-वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करने के उद्देश्य से कलिंग युद्ध लड़ा गया। कल्हण की 'राजतरंगिणी' के अनुसार, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले कट्टर शैव था। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करनेवाला विद्वान् उपगुप्त या मोग्गलिपुत्रतिस्स था।

अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बाँटा था, जो निम्न थे—

क्रमांक : 1

प्रांत : उत्तरापथ

राजधानी : तक्षशिला

क्रमांक : 2

प्रांत : दक्षिणापथ

राजधानी : स्वर्णगिरि

क्रमांक : 3

प्रांत : अवंति

राजधानी : उज्जैन

क्रमांक : 4

प्रांत : कलिंग

राजधानी : तोसली

क्रमांक : 5

प्रांत : प्राची/पूर्वी राज्य

राजधानी : पाटलिपुत्र

संपूर्ण मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में ललितपाटन नामक नगर की स्थापना की। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, इस क्षेत्र में उर्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषाष्प द्वारा, रुद्रदमन ने सुविशाख द्वारा तथा स्कंदगुप्त ने चक्रपालित द्वारा कराई थी। तुषाष्प अशोक के समय अवंति का गवर्नर था, जो एक यूनानी था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कई भागों में बँट गया, जैसे—पूर्वी भाग अर्थात् बिहार, बंगाल, उत्तर-प्रदेश आदि। इस क्षेत्र का शासक दशरथ बना, जिसने इनकी राजधानी पाटलिपुत्र को ही रखा। पश्चिमी भाग में राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रांत थे, जिसका शासक अशोक का एक अन्य पौत्र संप्रति बना। अशोक के बाद संप्रति को मौर्य वंश का श्रेष्ठ शासक कहा जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक जालौक बना। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या185 ई.पू. में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई तथा शुंग वंश की स्थापना की गई।

अशोक का धम्म

धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अशोक की प्रसिद्धि उसकी विजय-यात्रा से नहीं, बल्कि उसकी धम्म नीति के कारण है। अशोक विश्व इतिहास में जनता के नैतिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करने के कारण महान् है। जिन सिद्धांतों के आधार पर नैतिक प्रयत्न संभव है, उन्हीं सिद्धांतों को अशोक के अभिलेखों में 'धम्म' कहा गया है।

अशोक के अनुसार, धम्म साधुता है, बहुत से अच्छे और कल्याणकारी कार्य करना है, पापरहित होना, दूसरों के साथ मधु व्यवहार करना, दान, दया, प्राणियों का वध न करना, माता-पिता और बड़ों का आदर करना, संबंधियों, मित्रों, दास एवं सेवक के साथ उत्तम व्यवहार करना आदि है। इसके साथ ही अशोक के धम्म में निषेधात्मक पक्ष भी है, जैसे—चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या आदि व्यक्ति के विकास में बाधक हैं, अत: प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने प्रत्येक व्यक्ति को नित्य आत्म-परीक्षण पर बल देने को कहा। अशोक के अनुसार, मनुष्य

केवल अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है। यह कभी नहीं देखता है कि उसने क्या पाप किया? व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसके मनोवेग, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध एवं ईर्ष्या उसे पाप की ओर न ले जाएँ एवं उसका पथ भ्रष्ट न कर दें।

धम्म के उपर्युक्त सिद्धांतों के पालन करने पर इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है, जिसकी मूलभूत मान्यताएँ सभी संप्रदायों में मान्य हैं। देश और काल की सीमा में बँधा नहीं है, किसी भी पंथ या संप्रदाय का कोई विरोध नहीं हो सकता है।

रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र में उर्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषाष्प द्वारा, रुद्रदामन ने सुविशाख द्वारा तथा स्कंदगुप्त ने चक्रपालित द्वारा कराई थी।

अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का कार्य किया, लेकिन अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं है तथा वह अपनी जनता को धम्म के अनुसार कार्य करने को कहता है। इसका धम्म सर्वमान्य है, सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ संबंध की स्थापना करता है, बाह्य आडंबर का विरोध करता है तथा आंतरिक शुद्धता पर बल देता है।

अशोक के राज्यारोहण के समय उसे विशाल साम्राज्य मिला। 261 ई.पू. में उसकी सीमा में वृद्धि (कलिंग विजय) हुई। अत: इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इसके पास दो विकल्प थे—

सैन्यशक्ति द्वारा अर्थात् राजत्व में देवत्व का गुण भरके।

धम्म के आधार पर।

रोमिला थापर के अनुसार, अशोक का धम्म राजनीतिक-सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी। अशोक बौद्ध धर्म की अहिंसा नीति से प्रभावित हुआ। उसके समय में विविधतापूर्ण समाज था, जिसमें सामाजिक-राजनीतिक तथा धार्मिक असमानता थी। अत: अशोक इन परस्पर विरोधी तत्त्वों को आचरण और नैतिकता के आधार पर एक समान मंच पर लाना चाहता था, जिससे कि विरोध के स्वर दबे रहें। यह बात एक महान् शासक ही सोच सकता है, जिसे सभी परिस्थितियों का ज्ञान हो। इस प्रकार अशोक का धम्म उसके दिमाग का राजनीतिक आविष्कार हो सकता है, जिसके पीछे सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं का सावधानीपूर्वक समाधान करना है।

अशोक के अभिलेख—अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है—

शिलालेख

स्तंभलेख तथा

गुहालेख

शिलालेख

अशोक चतुर्दश शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध ये शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख निम्नलिखित हैं—

1. गिरनार (काठियावाड़, गुजरात में जूनागढ़ के समीप) (ब्राह्मी लिपि में)
2. धौली (पुरी, उड़ीसा) (ब्राह्मी लिपि में)
3. जौगढ़ (गंजाम जिला, उड़ीसा) (ब्राह्मी लिपि में)

4. कालसी (देहरादून) (ब्राह्मी लिपि में)
5. येर्रागुड़ी (कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश) (ब्राह्मी लिपि में)
6. सोपारा (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) (ब्राह्मी लिपि में)
7. शाहबाजगढ़ी (पेशावर, पाकिस्तान) (खरोष्ठी लिपि में)
8. मानसेहरा (हजारा, पश्चिमी पाकिस्तान) (खरोष्ठी लिपि में)

लघु शिलालेख

ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं—

1. सासाराम (बिहार),
2. रूपनाथ (जबलपुर, मध्य प्रदेश),
3. गुर्जरा (दतिया, मध्य प्रदेश),
4. भबूर (वैराट) (जयपुर, राजस्थान),
5. मास्की (रायचूर, कर्नाटक),
6. ब्रह्मगिरि (चितलदुर्ग, कर्नाटक),
7. सिद्धपुर (ब्रह्मगिरि),
8. जटिंगरामेश्वर (ब्रह्मगिरि),
9. येर्रागुड़ी (कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश),
10. गवीमठ (मैसूर),
11. पालकीगुंडू (रायचूर, कर्नाटक),
12. राजूल मंडगिरि (कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश),
13. अहरौरा (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश)।

स्तंभलेख

अशोक के बड़े स्तंभलेखों की संख्या-7 है, जो मुख्य रूप से छह भिन्न-भिन्न स्थानों में पाए गए हैं।

1. दिल्ली-टोपरा स्तंभलेख—यह स्तंभलेख अंबाला (हरियाणा) और सिर्सवा (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त हुआ है, जिसे फिरोजशाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया।

2. दिल्ली-मेरठ स्तंभलेख—यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोजशाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया।

3. लौरिया अरेराज स्तंभलेख—यह स्तंभलेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया अरेराज में स्थित है।

4. लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख—यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है।

5. रामपुरवा स्तंभलेख—यह स्तंभलेख पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है।

6. प्रयाग स्तंभलेख—यह पहले कौशांबी में स्थित था, जिसे बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया है।

लघु स्तंभलेख

अशोक की राजकीय घोषणाएँ जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, उन्हें साधारण तौर ल्पर लघु स्तंभलेख कहा जाता है।

ये निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं—

1. सारनाथ—वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

2. कौशांबी—इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

3. साँची—रायसेन जिला, मध्य प्रदेश।

4. रूम्मिनदेई—नेपाल की तराई में परारिया ग्राम के समीप।

5. निगलीगाँव—निगलीगाँव सागर नामक बड़े सरोवर के तट पर नेपाल की तराई में रूम्मिनदेई से लगभग 13 किमी. पश्चिमोत्तर में स्थित है।

अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख उसका सातवाँ लेख है तथा सबसे छोटा स्तंभलेख रूम्मिनदेई स्तंभलेख है। कौशांबी तथा प्रयाग के स्तंभलेखों में अशोक की रानी करूवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रूम्मिनदेई स्तंभलेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्मयात्रा पर जाने का विवरण है तथा इसी स्तंभलेख में कराधान की चर्चा की गई है। अभिषेक के बीसवें वर्ष में अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई और वहाँ का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया। 'सभी मनुष्य मेरी संतान हैं।' इस वाक्य का वर्णन धौली तथा जौगढ़ के अभिलेख में है। गिरनार लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग-अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। कंधार अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों और मछुआरों ने जीव-हिंसा त्याग दी। कंधार के पास 'शारे-कुना' नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख यूनानी तथा आरमाइक लिपि में हैं। इलाहाबाद से प्राप्त स्तंभलेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं। अशोक साँची, सारनाथ और कौशांबी के अपने लघु स्तंभलेखों में अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। भब्रू शिलालेख एकमात्र अभिलेख है, जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है।

अशोक के अभिलेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा थी, ब्राह्मी लिपि बाएँ से दाएँ और खरोष्ठी लिपि दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी। परंतु अशोक के येर्रागुड़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाएँ से बाएँ लिखी हुई है।

गुहा लेख

दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी की तीन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, जिनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने का विवरण है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।

अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख उसका सातवाँ लेख है तथा सबसे छोटा स्तंभलेख रूम्मिनदेई स्तंभलेख है। कौशांबी के लघु स्तंभलेख में अशोक अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है।

मौर्य प्रशासन

स्मिथ ने मौर्यों की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा है। मौर्यों का विशाल साम्राज्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से राष्ट्र कहलाता था। संपूर्ण राष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य-बिंदुसार के समय 4 राज्य या चक्र तथा अशोक के समय 5 राज्यों में विभाजित था। ये प्रांत थे—

1. उत्तरापथ—इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पाकिस्तान तथा पंजाब सम्मिलित थे।

2. अवंति—इसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश सम्मिलित

थे।

3. दक्षिणापथ—इसकी राजधानी स्वर्णगिरि थी। इसके अंतर्गत दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश सम्मिलित थे।

4. प्राची—इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इसके अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल का तराई क्षेत्र तथा बँग्लादेश सम्मिलित थे।

5. कलिंग—इसकी राजधानी तोसाली थी। इसके अंतर्गत उड़ीसा क्षेत्र सम्मिलित था तथा सबसे छोटा राज्य था।

प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य प्रशासन के अंगों को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है—

राष्ट्र ⟶ प्रांत ⟶ मंडल (कमिश्नरी) ⟶ जनपद ⟶ स्थानिक (800 गाँव) ⟶ द्रोणमुख (400 गाँव) ⟶ खार्चटिक (200 गाँव) ⟶ संग्रहण (100 गाँव) ⟶ ग्राम (सबसे छोटी ईकाई)।

ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को 'राष्ट्र' कहा जाता था, जबकि नगर से प्राप्त राजस्व को 'दुर्ग' कहा जाता था। दोनों प्रकार के राजस्व समाहर्त्ता जमाकर सीधे केंद्र के पास भेजता था।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में उच्चस्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों (विभाग) का उल्लेख मिलता है, जिनके अध्यक्ष को महामात्य कहा जाता था। 18 तीर्थों में मुख्य तीर्थ निम्नलिखित थे—

1. मंत्री,
2. पुरोहित,
3. सेनापति,
4. युवराज,
5. समाहर्ता

5. समाहता—समाहर्ता का कार्य राजस्व एकत्रित करना तथा जिले में कानून व्यवस्था देखना था। जनपद का प्रधान समाहर्ता ही होता था, जो न्यायिक कार्यों को भी देखता था अर्थात् इसमें अद्‌र्धन्यायिक शक्ति भी थी, लेकिन मुख्य कार्य राजस्व संगृहीत करना था। इसके साथ ही समाहर्ता आय-व्यय का ब्योरा रखता था तथा वार्षिक बजट तैयार करता था। ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को 'राष्ट्र' कहा जाता था, जबकि नगर से प्राप्त राजस्व को 'दुर्ग' कहा जाता था। दोनों प्रकार के राजस्व समाहर्ता जमा कर सीधे केंद्र के पास भेजता था। राजकीय स्वामित्ववाली भूमि को सीता कहा गया तथा सीता से प्राप्त आय को भी समाहर्ता जमा करता था। समाहर्ता जिले के पुलिस अधिकारी, राजुक तथा नगर प्रशासनिक अधिकारी नगर व्यावहारिक के बीच समन्वय स्थापित करता था। समाहर्ता मौर्यकालीन प्रशासन का सबसे प्रमुख अधिकारी था, जिसकी नियुक्ति सीधे राजा के द्‌वारा की जाती थी।

6. सन्निधाता (कोषाध्यक्ष)—जिला समाहर्ता राजस्व को केंद्रीय समाहर्ता के पास भेजता था तथा वह इस आय को सन्निधाता के पास जमा करता था।

कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में 26 अध्यक्षों की चर्चा की है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. सीताध्यक्ष—राजकीय भूमि का अधिकारी।
2. पण्याध्यक्ष—कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक।
3. लोहाध्यक्ष—धातु नियंत्रक।
4. विविताध्यक्ष—चरागाह अधिकारी।
5. पौतवाध्यक्ष—बाट एवं तराजू अधिकारी।
6. रूप दर्शक—सिक्का निरीक्षक अधिकारी।

7. धम्म महामात्य—धम्म प्रसार एवं नैतिक उत्थान अधिकारी।
8. राजुक—क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक।
9. प्रतिवेदक—राजा का निजी सचिव।
10. लक्षणाध्यक्ष—टकसाल अधिकारी।
11. एग्रोनोमोई—जिले का अधिकारी।
12. एरिस्टोनोमोई—नगर का अधिकारी।

मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की 'इंडिका' में है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की छह समितियों का विवरण है।

न्याय प्रणाली

मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे—

धर्मस्थीय (दीवानी न्यायालय)

कंटकशोधन (फौजदारी न्यायालय)

सम्राट् स्वयं न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। 'अर्थशास्त्र' का संपूर्ण चौथा अध्याय कंटकशोधन अदालत विषय पर लिखा गया है।

मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था काफी सुदृढ थी। गुप्तचरों को गूढ़पुरुष कहा गया है। कौटिल्य ने इसे राजा का चक्षु (आँख) कहा है। अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी—

संस्था, जो स्थायी थी।

संचारा, जो भ्रमणशील था।

मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत कृषि था। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में 'वार्ता' कहा गया है। कर की दर 1/6 भाग थी। जंगल, वस्त्र उद्योग आदि पर राज्य का अधिकार था। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी एवं पुंड्र रेशम उद्योग हेतु तथा बंग मलमल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में रेशम चीन से मँगाई जाती थी। मौर्य काल में चाँदी की आहत मुद्राएँ प्रचलित थीं। इन पर मयूर, पर्वत और अर्द्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी। 'बलि' एक प्रकार का भूराजस्व था, जबकि 'हिरण्य' नमक कर था, जो नकद लिया जाता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनाते थे तो उन्हें राज्य को 13.5 प्रतिशत ब्याज 'रूपिका' और 'परीक्षण' के रूप में देना होता था। वणिक कर, नाव एवं पत्तन कर, चरागाहों व सड़कों पर कर तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को 'राष्ट्र' के नाम से जाना जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त होनेवाली आय 'सीता' कहलाती थी। भूस्वामी को 'क्षेत्रक' और काश्तकार को 'उपवास' कहा जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना 'सेतुबंध' कहलाता था, जो सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। 'पिंड कर' पूरे गाँव से एक बार वसूल किया जाता था, जबकि 'विवित' कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। मौर्य काल में नि:शुल्क श्रम अर्थात् बेगार को 'विष्टि' कहा जाता था। देशी वस्तुओं पर 4 प्रतिशत बिक्री कर तथा आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था।

मौर्य काल के समय चार प्रमुख सड़क मार्ग थे, जो निम्न हैं—

उत्तरापथ—राजगीर से पुष्पकलावती को जोड़ता था अर्थात् पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ता था तथा यह सबसे व्यस्त सड़क मार्ग था।